राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
National Academy of Ayurveda
An Autonomous organization under Ministry of AYUSH,
Govt. of India

25वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report

2015-16

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
National Academy of Ayurveda
An Autonomous organization under Ministry of AYUSH,
Govt. of India

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
National Academy of Ayurveda

25 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2015-16

(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
(An autonomous organization under Ministry of AYUSH, Govt. of India)

धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली – 110026
Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi - 110026

विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	Iii
1.	**प्रस्तावना**	1
2.	**विद्यापीठ के उद्देश्य**	
3.	**समितियां**	
	(i) शासी निकाय	2–4
	(ii) स्थायी वित्त समिति	5
4.	**विद्यापीठ के कार्य**	
	(i) गुरु शिष्य परम्परा	6–12
	(ii) दीक्षान्त समारोह	12
	(iii) रत्नसदस्यता पुरस्कार	12
	(iv) सम्मेलन/संगोष्ठी	12
	(v) सम्भाषा कार्यशाला	13
	(vi) संहिताओं पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	14
	(vii) शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	14
	(viii) प्रकाशन	15
5.	**तकनीकी रिपोर्ट** (वर्ष 2015–16 के क्रियाकलाप)	
	(i) बैठकें	15–18
	(ii) गुरु शिष्य परम्परा पाठ्यक्रम	19–25
	(iii) दीक्षान्त समारोह	25–27
	(iv) वार्षिक संगोष्ठी	27–28
	(v) सम्भाषा कार्यशालाएं	28
	(vi) संहिताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	29
	(vii) शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	29–30

	(viii) प्रकाशन/पुस्तकों की बिक्री	30
	(ix) अन्य क्रियाकलाप	31–32
6.	**बजट और खर्च**	33
7.	**पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**	34
8.	**लेखे**	
	(i) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनपत्र	38
	(ii) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे	39
	(iii) 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूचियाँ	40–53
	(iv) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे	54–55
	(v) अंशदायी भविष्य निधि के 31 मार्च 2016 तक की प्राप्तियां एवं भुगतान, आय एंव व्यय लेखे तथा तुलनपत्र	56–57
	(vi) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	58
	(vii) आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ	59–60

प्राक्कथन

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आर.ए.वी.), भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन है, जिसे शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल पद्धति के माध्यम से आयुर्वेद के परम्परागत कर्माभ्यास और ग्रन्थों (मूलपाठ) के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में बनाया गया था। यहां लक्षित शिक्षार्थी आयुर्वेद के ऐसे नए स्नातक और स्नातकोत्तर होते हैं, जो परम्परागत आयुर्वेदिक कर्माभ्यास और सिद्धान्तों में स्वयं को अधिक दक्ष बनाने में रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का सदस्य पाठ्यक्रम (एम.आर.ए.वी.) एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) दो ऐसे पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयुर्वेदिक शिष्यों को परम्परागत कर्माभ्यास एवं ग्रन्थ संबंधी ज्ञान में और अधिक निपुण बनाने का उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रारम्भ किया गया है। अब तक लगभग 680 एवं 71 शिष्यों ने क्रमशः रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) और रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम (एम.आर.ए.वी.) पूर्ण कर लिया है। वर्ष 2014–15 में लगभग 108 प्रशिक्षणार्थियों ने सी.आर.ए.वी. प्रशिक्षण को पूर्ण किया तथा सी.आर.ए.वी. प्रमाण पत्र के लिये अर्हता प्राप्त की। वर्ष 2015–16 में लगभग 113 शिष्यों को रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के लिए नामावली में लिया गया है और वे पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा सूचीबद्ध विद्वानों के मार्गदर्शन में आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कर्माभ्यास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रोगी की जांच एवं तत्पश्चात् उपचार की प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतियों का कम उपयोग किया जा रहा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस अन्तराल को महसूस करने के बाद परम्परागत नैदानिक पद्धतियों से रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करने की कला में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरु किया है। इस कार्यक्रम में उन युवा संकायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो चिकित्सा विषयों से संबंध रखते हैं ताकि वे अपने चिकित्सा कर्माभ्यास में प्रयोग करने के लिए ऐसी प्रणालियों में दक्ष हो जाएं। अभी तक देश में विभिन्न स्थानों पर ऐसे 12 नैदानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2015–16 में ऐसे तीन कार्यक्रम क्रमशः बैंगलोर, वाराणसी एवं जयपुर में आयोजित किये गए हैं। अभी तक लगभग 360 शिक्षकों ने इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों को अनुसंधान एवं इसके प्रकाशन की संस्कृति अच्छी तरह समझाने के लिए वर्ष 2015–16 में एक नया कार्यक्रम बनाकर उसे कार्यान्वित किया गया। यह तीन दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जो आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 'शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसर' पर केन्द्रित था। वर्ष 2015–16 में ऐसे तीन कार्यक्रम क्रमशः लखनऊ, पुणे एवं कोलकाता में आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों की काफी प्रशंसा हुई और इन तीन कार्यक्रमों में लगभग 120 स्नातकोत्तर छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, प्रतिवर्ष आयुर्वेद के कुछ समसामयिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के द्विदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन करता है। इस वर्ष यह संगोष्ठी 'बस्ति कर्म–स्वास्थ्य एवं रोग में निहितार्थ' पर आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में आयुर्वेद के कई प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया। इस अवसर पर आयुर्वेद के प्रतिष्ठित विद्वानों ने विविध विषयों पर महत्वपूर्ण भाषण दिए और आयुर्वेद के अनुसंधानकर्ताओं ने अनुसंधान–पत्र प्रस्तुत किए। इस संगोष्ठी में लगभग 29 अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किये गए। इस अवसर पर सभी 29 पूर्ण लेखों वाली एक स्मारिका भी जारी की गई।

आयुर्वेद के गुरुजनों एवं शिष्यों के बीच संभाषा कार्यशाला आयोजित करना भी रा0आ0वि0 का एक नियमित कार्यकलाप है। इस क्रम को जारी रखते हुए इस वर्ष वात का 'अवरितत्व एवं गतत्व' पर 24वीं सम्भाषा कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 19 से अधिक विशेषज्ञों एवं लगभग 55 सहभागियों ने भाग लिया। गुरुजनों एवं शिष्यों के बीच हुई सम्भाषा को एक स्मारिका के रूप में भी प्रकाशित किया गया।

रा.आ.वि. ने इस वर्ष डॉ0 संजीव रस्तोगी और प्रो0 वी. वी. प्रसाद द्वारा सम्पादित 'आयुर्वेद में प्रयुक्त औषधीय पौधे' के द्वितीय संस्करण का भी विमोचन किया। यह आयुर्वेद के सभी उच्चाकांक्षियों के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

रा.आ.वि., सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना हेतु प्रधान संस्था (नोडल एजेंसी) के रूप में भी कार्य करता है। सी.एम.ई. के प्रस्तावों की समीक्षा के बाद वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 29 सी.एम.ई को मूर्त रूप दिया जा सका है। सी.एम.ई. योजना के अन्तर्गत पहली बार चिकित्सालय प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि बेहतर चिकित्सालय प्रबंधन के लिए आयुष चिकित्सालय प्रशासकों को सशक्त बनाया जा सके।

रा.आ.वि. आयुर्वेद प्रशिक्षण देने के अपने विभिन्न क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नए तंत्र भी विकसित कर रहा है। यह मौजूदा प्रणाली में लगातार अन्तराल ढूँढ रहा है और इन अन्तरालों को भरने के तरीके ढूँढ रहा है। विविध प्रतिपुष्टियों एवं तंत्रों के मध्यावधि मूल्यांकन के जरिए रा0आ0वि0 के कार्यकलापों की नियमित निगरानी भी की जा रही है। रा0आ0वि0 अपने क्षेत्र में विशिष्ट बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह आयुर्वेद कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के समर्पित केन्द्र के रूप में उभरने के लिए प्रयत्नशील है। रा0आ0वि0 इस दिशा में कई नई पहलें कर रहा है। जिनके भविष्य में फलीभूत होने की आशा है। विद्यापीठ के क्रिया–कलापों एवं उपलब्धियों पर **वर्ष 2015–16** का वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी लेखापरीक्षा संबंधी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया जा रहा है।

(डॉ0 संजीव रस्तोगी)
निदेशक

प्रस्तावना :

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त–पोषित है। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, सोसाइटी, दिल्ली प्रशासन में 11 फरवरी, 1988 को हुआ है। इसने वर्ष 1991 से धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110 026 में कार्य करना प्रारम्भ किया ।

इस विद्यापीठ की स्थापना प्रख्यात आयुर्वेदिक विद्वानों एवं कर्माभ्यासियों के आयुर्वेदिक ज्ञान को संरक्षित रखने और उसे शिक्षा एवं ज्ञान अन्तरण की भारतीय परम्परागत गुरु शिष्य प्रणाली के जरिए युवा पीढ़ी को अन्तरित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य आयुर्वेदिक प्राचीन ग्रन्थों एवं चिकित्सालयी (नैदानिक) कर्माभ्यासों में नई पीढ़ी के आयुर्वेदिक विद्वानों को कुशल बनाना है।

2. विद्यापीठ के उद्देश्य :

1. आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ाना।
2. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में निरन्तर शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना तथा इस प्रयोजन से परीक्षाएं आयोजित करना।
3. सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करना।
4. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्यता को मान्यता प्रदान करना एवं बढ़ावा देना।
5. आयुर्वेद में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक कार्य करना।
6. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित करना।
7. आयुर्वेदिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं, समितियों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।
8. आयुर्वेद का संवर्धन करना और आयुर्वेद में निरन्तर शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए निधियां एवं धर्मदाय प्राप्त करना और उनका प्रबन्ध करना ।
9. आयुर्वेदिक शिक्षा की नई प्रणालियों पर परीक्षण करना, ताकि शिक्षा के सन्तोषजनक स्तर पर पहुँचा जा सके ।
10. विद्यापीठ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आचार्य पद, अन्य संकाय के स्तर की रत्नसदस्यताएं (फेलोशिप), अनुसंधान संवर्ग पद एवं छात्रवृत्ति आदि प्रारम्भ करना, इत्यादि।

3. समितियां :

3.1 शासी निकाय

संस्था के बर्हिनियम व भारत सरकार के आदेशानुसार, विद्यापीठ के कार्यों का प्रबन्धन इसके शासी निकाय द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा शासी निकाय का पुनर्गठन पाँच (5) वर्षों के लिए 20 दिसम्बर, 2013 को निम्नानुसार किया गया था :–

शासी निकाय के अध्यक्ष

1. **'पद्म भूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा,**
30, सुखदेव विहार,
नई दिल्ली–110 025

भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति (पदेन सदस्य)

2. **अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार,**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली–110 011

3. **संयुक्त सचिव,**
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
आई. एन. ए.,
नई दिल्ली–110 023

4. **सलाहकार (आयुर्वेद),**
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
आई. एन. ए.,
नई दिल्ली–110 023

5. **कुलपति,**
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
प्रशासनिक भवन,
जामनगर–361 008 (गुजरात)

भारत सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ

6. **डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे,**
6, राजश्री अपार्टमेंट्स,
नीलगिरि लेन,
बनेर रोड़,
पुणे –411 007 (महाराष्ट्र)

7. **प्रो0 ए. शंकर बाबू,**
6–7–621, श्रीपुरम कॉलोनी,
के.टी. रोड,
तिरुपति, जिला–चित्तौर
पिन–517 501 (आन्ध्र प्रदेश)

8. **डॉ0 (श्रीमती) एच. आर. विजया शेषाद्रि,**
प्लॉट संख्या–1, मातृश्री,
रामनगर उत्तरी, मदिपक्कम,
चेन्नई –600 091 (तमिलनाडु)

9. **प्रो0 (डॉ0) बल्लव कुमार जयसिंह,**
सर्वोदय नगर,
राज पैलेस के पास,
पुरी–752 002 (उड़ीसा)

10. **डॉ0 निरंजन सिंह त्यागी,**
स्वर्ग आश्रम रोड,
हापुड़–245 101 (उ0प्र0)

अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन (ए.आई.ए.सी.) द्वारा मनोनीत सदस्य

11. **वैद्य शिव कुमार मिश्रा,**
पूर्व सलाहकार (आयुर्वेद) भारत सरकार,
ए–604, टावर अपार्टमैन्ट्स,
स्वास्थ्य विहार,
दिल्ली–110 092

12. **वैद्या (श्रीमती) शशिकला भगवान अहिरे,**
ए.एस.एम.–43, अभिषेक बंगला,
अश्विन नगर, एस.आई.डी.सी.ओ.,
जिला–नासिक –422 009 (महाराष्ट्र)

13. **डॉ0 संजीव गोयल,**
88/सेक्टर–28 ए.,
चंडीगढ़–160 002

रा0आ0वि0 के रत्न–सदस्यों (फेलो) में से एक सदस्य

14. **डॉ0 उमा शंकर निगम,**
2703, महाराजा टावर,
फिल्मसिटी रोड, गोरेगॉव ईस्ट,
मुम्बई –400 063 (महाराष्ट्र)

रा0आ0वि0 के पूर्व शिष्यों में से एक सदस्य

15. **डॉ0 संजय आर. तलमले,**
सहायक प्रोफेसर, द्रव्यगुण विभाग,
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,
रघुजी नगर,
नागपुर (महाराष्ट्र)

सदस्य सचिव

16. **निदेशक, रा0आ0वि0**

दो सदस्यों के त्यागपत्र दिये जाने के कारण शासी निकाय में पद रिक्त हो गए थे। अतः इन रिक्त पदों को भरने के लिए दो नये सदस्य नामतः डॉ. निरंजन सिंह त्यागी (भारत सरकार द्वारा नामित) और डॉ. संजीव गोयल (अ.भा.आ.महा. द्वारा नामित) ने 12 अगस्त, 2015 को शासी निकाय में कार्यभार ग्रहण किया।

3.2. स्थायी वित्त समिति

आयुष मंत्रालय ने दिनांक 17 जनवरी, 2014 को 5 वर्ष के लिए स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) का पुनर्गठन किया था, जिसकी कार्यावधि वर्तमान शासी निकाय के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जायेगी। स्थायी वित्त समिति की संरचना निम्न प्रकार है:–

1. **संयुक्त सचिव (आयुष),** — **अध्यक्ष (पदेन सदस्य)**
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
आई. एन. ए.,
नई दिल्ली–110 023

2. **वित्त सलाहकार द्वारा नामित एकीकृत वित्त प्रभाग (आई.एफ.डी.) का अधिकारी,** — **पदेन सदस्य**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली–110 011

3. **सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा उप–सलाहकार,** — **पदेन सदस्य**
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली–110 023

4. **प्रो0 ए. शंकर बाबू,** — **सदस्य**
(विशेषज्ञों में से शासी निकाय के एक सदस्य)
6–7–621, श्रीपुरम कॉलोनी,
के.टी. रोड,
तिरुपति, जिला–चित्तौर
पिन–517 501 (आन्ध्र प्रदेश)

5. **वैद्य शिव कुमार मिश्रा,** — **सदस्य**
(अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन–
से शासी निकाय के एक सदस्य)
ए–604, टावर अपार्टमैन्ट्स,
स्वास्थ्य विहार, दिल्ली–110 092

6. **निदेशक,** **सदस्य सचिव**
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली

4. विद्यापीठ के कार्य

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 'गुरु शिष्य परम्परा' के अधीन 'रा.आ.वि. का सदस्य' एवं 'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र' नामक दो प्रकार के पाठ्यक्रम चलाता है। इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए यह विद्यापीठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों एवं वैद्यों को गुरु के रूप में सूचीबद्ध करता है और इन पाठ्यक्रमों के लिए आयुर्वेद की औपचारिक अर्हताएं रखने वाले शिष्यों को इसके लिए चयन करता है। इसके अतिरिक्त, यह विद्यापीठ संगोष्ठी/परिसंवाद/ कार्यशालाएं आयोजित करने, साहित्य का प्रकाशन करने और आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों को मान्यता देने/अभिनन्दन प्रदान करने का कार्य भी करता है।

4.1 गुरु शिष्य परम्परा

'गुरु शिष्य परम्परा' शिक्षा की परम्परागत आवासीय प्रणाली है, जिसमें शिष्य अपने गुरु के निवास स्थान के पास में ही रहता है और गुरु के नियमित चिकित्सकीय कार्य में उनके साथ रहकर एकैक शिक्षा प्राप्त करता है। गुरुकुल के विलुप्त होने के साथ यह प्रणाली समाप्त हो गई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने महसूस किया कि आयुर्वेद में ज्ञानान्तरण की यह प्रणाली अभी भी बहुत प्रभावी है। अतः यह विद्यापीठ अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से इस प्रणाली को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है।

शिक्षा प्राप्त करने के संस्थागत रूप में संहिताओं (आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों) का केवल प्रासंगिक भाग ही पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 'गुरु शिष्य परम्परा', कार्यक्रम में शिष्यों के लिए चुने गई संहिता और उसकी टीका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण ग्रन्थ का अध्ययन की व्यवस्था की गई है और उन्हें आयुर्वेदिक कर्माभ्यास के पारम्परिक कौशलों के बारे में भी बताया जाता है। अध्ययन की अवधि के दौरान शिष्यों को गुरुजनों से परस्पर बातचीत करने तथा रोगियों, जड़ी–बूटियों अथवा औषधि तैयार करने की विधि को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

4.1.1 पाठ्यक्रम

(क) आचार्य गुरु शिष्य परम्परा (रा.आ.वि. का द्विवर्षीय सदस्य पाठ्यक्रम) (एम.आर.ए.वी.)

यह भागीदारों को आयुर्वेदिक संहिताओं और उन पर टीकाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए साहित्यिक अनुसंधान पर आधारित एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य

आयुर्वेद संहिताओं में अच्छे शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता और विशेषज्ञ तैयार करना है। शिष्य अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता से सम्बन्धित संहिता का गुरु के मार्ग दर्शन में 2 वर्ष तक अध्ययन करता है। विद्यापीठ ने इस पाठ्यक्रम का प्रारम्भ वर्ष 1992 में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले वैद्यों को आयुर्वेदीय प्राचीन ग्रन्थों में विशेषज्ञ बनाने के उद्देश्य से की थी।

समुचित सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान रखने वाले तथा संस्कृत को अच्छी तरह समझने वाले अभ्यर्थियों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। पाठ्यक्रम के अन्त में शिष्यों से एक शोधप्रबन्ध जमा करने की अपेक्षा की जाती है, जिसे शिष्यों का योगदान माना जाता है। यद्यपि शिष्य अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में सम्पूर्ण (ग्रन्थ) का अध्ययन करता है, परन्तु वह विद्यापीठ द्वारा सम्बन्धित गुरु के साथ परामर्श करने के बाद दिए गए सुझाव के अनुसार ही निर्धारित अध्यायों/शीर्षकों पर शोधप्रबन्ध लिखता है, ताकि एक समान कार्य की पुनरावृत्ति न हो जाये।

(ख) चिकित्सक गुरु शिष्य परम्परा (रा.आ.वि. का एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम)–(सी.आर.ए.वी.)

यह पाठ्यक्रम फरवरी, 1999 से प्रारम्भ किया गया था। इस पाठ्यक्रम की अवधि आयुर्वेदिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों के लिए एक वर्ष की है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) **या** समतुल्य उपाधि/आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को विख्यात कर्माभ्यासरत वैद्यों, जिन्हें चिकित्सक गुरु के रूप में सूचीबद्ध किया गया हो, के अधीन प्रशिक्षण हेतु चुना जाता है। अध्ययन अवधि के दौरान, शिष्य आयुर्वेदिक प्रणाली से संबंधित नाड़ी परीक्षा, औषध निर्माण, क्षार–सूत्र, पंचकर्म, रोगों का उपचार, नेत्र चिकित्सा, अस्थिचिकित्सा इत्यादि प्रक्रियाओं को सीखते हैं। प्रशिक्षुओं से प्रत्येक महीने उनके अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले रोगियों का रिकार्ड तैयार करने और बाद में इन रिकार्डों को रा.आ.वि. में जमा करने की अपेक्षा की जाती है। शिष्यों द्वारा किया गया कार्य जैसे–रोगीवृत्त, मासिक अध्ययन रिपोर्ट इत्यादि की राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में जांच की जाती है। शिष्यों को उनके गुरुजनों के माध्यम से सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

4.1.2 गुरुजन

(क) रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरु :

निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले विद्वानों को गुरु के रूप में नियुक्त किया जाता है:

वह व्यक्ति, रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरु के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है, जो आयुर्वेद का सेवानिवृत्त आचार्य (प्रोफेसर) हो, जिसने स्नातकोत्तर (पी.जी.) या विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) उपाधि ग्रहण करने के साथ अच्छा प्रकाशित मान्यता प्राप्त अनुसन्धान कार्य

किया हो और जिसे शैक्षणिक कार्य का उत्कृष्ट अनुभव हो। या जो आयुर्वेद अनुसन्धान संस्था का सेवानिवृत्त निदेशक या आयुर्वेद में विख्यात अन्य कोई व्यक्ति हो, जो राज्य, केन्द्र/स्वायत्त संगठन एवं अन्य ख्याति प्राप्त कार्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर हों और व्यापक ज्ञान के साथ समुचित शैक्षणिक अनुभव रखता हो अथवा आयुर्वेद में कोई विशेषज्ञता रखता हो या आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान हो।

गुरु को 60 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और संस्कृत एवं आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में निपुण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास विशेष ज्ञान एवं दक्षता होना आवश्यक है, ताकि चयन को न्यायोचित ठहराया जा सके। द्रव्यगुण, रस–शास्त्र, भैषज्य कल्पना और अन्य क्लिनिकल विषयों में गुरु के पास प्रदर्शन के लिए बुनियादी सुविधा होनी चाहिए अथवा आस–पास ऐसी सुविधा/संस्था तक पहुँच होनी चहिए।

(ख). राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के लिए गुरु :

गुरुजनों के लिए पात्रता मानदण्ड (राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम)

रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) में गुरुजनों के चयन के लिए निम्नलिखित दो मानदण्डों को अपनाया गया है :–

1. वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्ड।
2. संस्थागत गुरुजनों के लिए मानदण्ड।

क) वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्ड

1. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम 1970 की धारा 17 के तहत आयुर्वेद के वह चिकित्सक जो नामांकन किसी राज्य के भारतीय चिकित्सा के रजिस्टर में नामावली में हो।
2. आयु 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. मुख्यतः प्राचीन औषधियों में विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधालयी कर्माभ्यास का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले और आयुर्वेद के किसी अन्य विषय में स्वयं आयुर्वेदिक कर्माभ्यास वाले कर्माभ्यासी।
4. कर्माभ्यासी को किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय अथवा उनसे संबद्ध चिकित्सालयों अथवा किसी अन्य चिकित्सालय में मानार्थ आधार को छोड़कर नियमित आधार पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।

5. रा0आ0वि0 का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) का गुरु बनने के इच्छुक आयुर्वेदिक कर्माभ्यासी के बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) में न्यूनत्तम 25 रोगी प्रतिदिन होने चाहिए।
6. शल्य चिकित्सा कर्माभ्यास के मामले में वैद्यों को कम से कम 15 बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) के रोगियों को देखने के अतिरिक्त प्रतिदिन 5 शल्य क्रिया करनी भी आवश्यक है।
7. आयुर्वेद फार्मेसी के मामले में वैद्य के पास स्वयं की फार्मेसी होनी चाहिए और आयुर्वेदिक औषधियों को तैयार करने के सूत्रों का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
8. युवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने और उन्हें अपने व्यावहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण देने एवं अपने कौशल एवं दक्षताओं को बिना किसी आपत्ति के बताने के इच्छुक हों।
9. इस श्रेणी के अन्तर्गत गुरुजनों को 2 शिष्य तक दिये जा सकते हैं। अगर उनके पास 10 शय्याओं और उससे अधिक की अन्तरंग विभाग (आई.पी.डी.) की सुविधा है तो उन्हें 4 शिष्य तक दिये जा सकते हैं।

ख) संस्थागत गुरुजनों (संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र) के लिए मानदण्ड :

1. आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया उत्कृष्ट केन्द्र ।
2. न्यूनत्तम 50 शय्याओं और प्रतिदिन बहिरंग विभाग में 200 रोगियों वाला आयुर्वेदिक चिकित्सालय।
3. चिकित्सालय कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहा हो। तथापि, जिस गुरु को प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में नामित किया गया हो, उसे न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
4. उस संस्था की विशुद्ध आयुर्वेदिक उपचार के लिए पहचान होनी चाहिए और वहाँ पर कोई एकीकृत कर्माभ्यास नहीं होना चाहिए।
5. ऐसी संस्था को 8 शिष्य तक दिये जा सकते हैं और मुख्य चिकित्सक/संस्था का चिकित्सक और/अथवा अन्य वरिष्ठ चिकित्सक शिष्यों के प्रशिक्षण प्रभारी होंगे।

(ग). सूचीबद्ध करना :

किसी भी पाठ्यक्रम के लिए गुरु का चयन शासी निकाय के अध्यक्ष या शासी निकाय द्वारा नामित विशेषज्ञों की एक जांच–समिति (सर्च कमेटी) द्वारा की जाती है। समिति द्वारा विद्वानों और वैद्यों के जीवन–वृत्तों की जांच की जाती है और उनकी क्षमता पर समुचित विचार–विमर्श करने के बाद गुरु का चयन किया जाता है और शासी निकाय से उनको सूचीबद्ध करने के लिए संस्तुति की जाती है। शासी निकाय के अनुमोदन पश्चात्, गुरुपद एवं रा. आ. वि. के नियमों के अनुपालन के लिए उनकी इच्छा जानने तथा उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में पता लगाने के उपरान्त, जब कभी भी रिक्त स्थान होता है तो उनके पास सूचीबद्ध करने के संबंध में पत्र भेजा जाता है। गुरुजनों का चयन पूर्णतया अस्थायी आधार पर, सामान्यतः एक पाठ्यक्रम अवधि के लिए अर्थात् रा0आ0वि0 के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष के लिए तथा रा0आ0वि0 के सदस्य पाठ्यक्रम

के लिए दो वर्ष के लिए होती है। शासी निकाय या शासी निकाय की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा गुरुजनों के कार्य की समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तो उनकी कार्यावधि बढ़ाई जाती है। गुरु के पास कोई शिष्य नहीं होने या उनके अधीन सभी शिष्यों द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिए जाने पर, उनकी नियुक्ति पूर्ण मानी जाती है।

4.1.3 शिष्य

रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम एवं रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र आमंत्रित करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर समाचार–पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के नियमानुसार, संबंधित विषय में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर (पी.जी.) उपाधि रखने वाले 32 वर्ष से कम की आयु के अभ्यर्थी रा.आ.वि.का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम में शिष्यों के रूप में चयनित किए जाने के योग्य हैं। रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्रायोजित नियमित शिक्षकों को आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जाती है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रन में, आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पूर्वस्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और स्नातकोत्तर उपाधिधारकों के लिए 32 वर्ष है। सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्रायोजित स्थायी रूप से कार्यरत वैद्यों (डाक्टरों) को आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाती है। अभ्यर्थियों की अर्हताएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक हैं।

प्राप्त आवेदनपत्रों की जांच करने के बाद, पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा में, चिकित्सा विषयों पर विशेष बल देते हुए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम की विवरणिका में दिये गए विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। शिष्य के चयन में, शिष्य की चयन परीक्षा में श्रेष्ठता और विषय/गुरु की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है। रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों को तथा रा.आ. वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम में चिकित्सा अधिकारियों को वरीयता दी जाती है।

चुने गए अभ्यर्थियों को इस आशय का एक बन्धपत्र (बाण्ड पेपर) जमा करना होता है कि यदि शिष्य बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है या उस शिष्य को विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने पर निष्कासित किया जाता है, तो उस शिष्य को विद्यापीठ से ली गई सम्पूर्ण शिक्षावृत्ति 12 प्रतिशत ब्याज सहित विद्यापीठ को लौटानी होती है। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद, शिष्यों को, देश के विभिन्न भागों में स्थित सम्बन्धित गुरुजनों के संरक्षण में प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाता है।

4.1.4 मानदेय एवं शिक्षावृत्ति

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक महीने गुरुजनों को मानदेय व शिष्यों को शिक्षावृत्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक गुरु को प्रशिक्षण देने के लिए 2 से 4 तक शिष्य दिये जाते हैं। गुरुजनों का मानदेय केवल ₹15820/–तथा समय–समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं दो शिष्यों तक ₹5000/–रुपये है। यदि किसी गुरु के पास दो से अधिक शिष्य होते हैं तो उन्हें ₹ 2000/–प्रति शिष्य की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा। इसी प्रकार, रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए शिक्षावृत्ति केवल ₹ 15820/– एवं समय–समय पर लागू महंगाई भत्ता है। रा.आ.वि. की सदस्यता (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के लिए केवल ₹ 15820/–एवं समय–समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं इसके अतिरिक्त ₹ 2500/– की शिक्षावृत्ति है।

4.1.5. परीक्षा

'रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष के अन्त में शिष्यों की अन्तिम परीक्षा तीन भागों में

(क) शिष्यों द्वारा तैयार शोधप्रबन्धों का मूल्यांकन

(ख) तीन घंटे की लिखित परीक्षा

(ग) मौखिक परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है। शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन अनुमोदन/अस्वीकार करने के आधार पर किया जाता है। शोधप्रबन्ध के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् शिष्य की लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के तीनों भागों में से प्रत्येक में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने पर शिष्य को 'रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम' का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उसका अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की जाती है।

रा.आ.वि.का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिष्य अपने अध्ययन के अन्त में सीखे गए विषय की उल्लेखनीय बातों अर्थात् विशेष रोगों का उपचार, औषधियों एवं विशिष्ट प्रकरणों का सारांश देते हुए एक मोनोग्राफ तैयार करता है जो 25 पृष्ठों से अधिक नहीं होता और वह परीक्षा से एक माह पूर्व इसे विद्यापीठ को भेजता है। शिष्यों से अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान देखे गए कुछ रुचिकर मामलों पर विशेष केस रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा जाता है। परीक्षा दो भागों में होती है (क) तीन घंटों की लिखित परीक्षा (ख) मौखिक परीक्षा। लिखित व मौखिक परीक्षा के लिए मोनोग्राफ, केस रिपोर्ट, मासिक रिकार्ड आधार बनाता है। शिष्य के प्रशिक्षण अवधि के लिए उसके गुरु से शिष्य के आन्तरिक मूल्यांकन के लिए भी कहा जाता है। लिखित व मौखिक परीक्षा में अलग–अलग संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने वाले सफल अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। असफल अभ्यर्थियों को तीन माह की अवधि के लिए उनके गुरु के पास पुनः भेजा जाता है। इस अवधि के बाद उनसे पुनः परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है। गुरु के पास अतिरिक्त समय तक रहने के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं दी जाती है।

उत्तीर्ण शिष्यों को दीक्षान्त समारोह में प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

4.1.6. उपलब्धियां

अभी तक रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के 71 शिष्य एवं रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के 680 शिष्य अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं और उन्हें प्रमाणपत्र दिये जा चुके हैं।

4.2. दीक्षान्त समारोह :

विद्यापीठ सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करने तथा आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्य व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करने एवं प्रोत्साहन देने जैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तीर्ण शिष्यों को प्रमाणपत्र प्रदान करने और विख्यात विद्वानों एवं वैद्यों को आयुर्वेद की प्रगति हेतु उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की रत्नसदस्यता से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोह का आयोजन करता है।

4.3. रत्नसदस्यता सम्मान (फेलोशिप) :

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद के विख्यात विद्वानों और विभिन्न पारम्परिक आयुर्वेदिक कर्माभ्यासियों को उनकी विद्वत विशेषज्ञता और शिक्षा, अनुसन्धान, रोगी की देखभाल और/अथवा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें रत्नसदस्यता (फेलोशिप) प्रदान करता है। यह एक मानद मान्यता है, जिसमें प्रत्येक रत्नसदस्य का राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह में एक प्रशस्तिपत्र द्वारा अभिनन्दन किया जाता है और एक शॉल व एक कलश/स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष शासी निकाय द्वारा विद्वानों के जीवनवृत्तों के आधार पर इन रत्नसदस्यताओं का निर्धारण किया जाता है। अभी तक 294 विद्वानों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की रत्नसदस्यता प्रदान की जा चुकी है।

4.4. राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी :

विद्यापीठ प्रत्येक वर्ष एक ऐसे रोग के विषय पर एक सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित करता है, जिसमें आयुर्वेदिक निदान एवं उपचार के लिए विचारों का आदान–प्रदान, विचार–विमर्श तथा चिकित्सा संबंधी अनुभव को प्रसारित करना अपेक्षित है। अभी तक क्षार–सूत्र, हृदय–रोग, आयुर्वेदिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विकास, नाड़ी विज्ञान, आशुकारी आयुर्वेदिक औषधियां एवं तकनीक, शोथहर एवं जीवाणु नाशक आयुर्वेदिक औषधियां, एड्स, थायरॉयड रोग, रसायन तथा वृक्क एवं अन्य मूत्र संस्थानगत रोग, यकृत पैत्तिक एवं प्लीहा रोग, मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य, वातव्याधि, स्थूलता, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य रक्षा, हृद्रोग निवारण, त्वक् रोगों का उपचार, कैंसर (2), स्वतः रोग प्रतिरक्षा क्षमता संबंधी रोग और बस्तिकर्म विषयों पर 22 सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं।

4.5. आयुर्वेद के अध्यापकों एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रीय सम्भाषा कार्यशालाएं :

अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत कर रहे शिष्यों, कनिष्ठ शिक्षकों एवं युवा वैद्यों का यह आम अनुभव रहा है कि पाठ्यपुस्तकों के विषयों/शीर्षकों पर उनके सामने कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिनके लिए व्याख्या/ स्पष्टीकरण, परस्पर वार्ता और वैज्ञानिक समझ अपेक्षित है। कुछ महाविद्यालयों में जहाँ अनुभवी एवं योग्य संकायों की कमी है, वहाँ विद्यार्थी आयुर्वेद की अवधारणाओं और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता को समझने का लगातार प्रयास करते हैं।

विद्यार्थियों द्वारा बार–बार यह मुद्दा उठाया जाता है और उस पर तर्क दिया जाता है कि कुछ ऐसे विषयों को, जिनकी मौजूदा वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या नहीं की जा सकती, पाठ्यक्रम/ग्रन्थों (पाठ्यपुस्तकों) से हटा दिया जाए, क्योंकि वे वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं।

परन्तु ऐसे निर्णय पर पहुँचने से पहले यह आवश्यक समझा गया कि शिष्यों एवं प्रख्यात विद्वानों तथा अनुभवी वैद्यों में परस्पर बातचीत की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे शंका के ऐसे मुद्दों पर विचार–विमर्श का अवसर मिल सके। यह पाया गया है कि विशिष्ट विषय पर आयोजित संगोष्ठियां उसी विषय पर विचार–विमर्श करने तक सीमित रहती हैं और कई बार समय के अभाव में विद्यार्थियों एवं भागीदारों की शंकाएं दूर करने में असफल रहती हैं। प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन एवं लोगों की स्वास्थ्य रक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से दिन प्रतिदिन के कर्माभ्यास में उसे लागू करने के लिए पेशेवरों में मौजूदा ज्ञान में प्राचीन विचारों के अनुप्रयोग के सम्बन्ध में प्रश्न उठाने की पूरी सम्भावना है।

इस कार्यशाला हेतु इस संहिताओं, निघंटुओं, चिकित्सा ग्रन्थों तथा अन्य पाठ्यपुस्तकों के चुने गए विषयों से शिष्यों से ऐसे प्रश्न आमंत्रित किये जाते हैं जिन पर वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। शिष्यों से प्रश्न मिलने पर उन्हें ऐसे आयुर्वेदिक विद्वानों के पास भेजा जाता है, जिन्हें उस विषय का समुचित ज्ञान हो और जो उनकी शंकाओं का समाधान कर सकते हों। प्रश्नोत्तरों को एक पुस्तक के रूप में समेकित करके और वैज्ञानिक विचार–विमर्श के लिए कार्यशाला में वितरित किया जाता है। प्रश्नकर्ताओं और विशेषज्ञों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा अभी तक 24 सम्भाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है तथा कार्यशाला में विचार–विमर्श किये गए प्रश्नोत्तरों वाली पुस्तकें तैयार कर उनका विमोचन भी किया जा चुका है।

4.6. 'संहिताओं पर आधारित औषधीय निदान' विषय पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :

वर्ष 2012 में आयुर्वेद शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान के स्तरों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक संस्थानों के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कई संस्थानों में नैदानिक अभिलेखों में दशविध परीक्षा, स्रोतस परीक्षा आदि जैसी सूचना नहीं थी। संहिताओं पर आधारित औषधीय निदान के आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन तरीके विलुप्त हो रहे हैं। कई अध्यापकों और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने आयुर्वेदिक निदान के तरीकों की यह कला सीखने में रुचि दिखाई है।

उपर्युक्त विषय को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों द्वारा संहिताओं (ग्रन्थों) पर आधारित आयुर्वेदिक नैदानिक तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था।

आयुर्वेद हमारे देश की एक स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है और यह भारत में कई सदियों से प्रयोग में है। जनता के लिए उपचार की कई प्रक्रियाएं, चिकित्सा पद्धतियाँ एवं औषधियाँ हैं। बहुत से कर्माभ्यासी या तो अपने पूर्वजों से परम्परागत रूप से ज्ञान प्राप्त करके अथवा स्वयं के अनुभव से आयुर्वेद का कर्माभ्यास कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। रोगी देख–भाल के क्षेत्र में उन्हें जो ज्ञान एवं कौशल प्राप्त है, उसे युवा वैद्यों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, निदान और उपचार में आयुर्वेद के इस ज्ञान की आयुर्वेद की अवधारणाओं के अनुसार ही व्याख्या किये जाने की आवश्यकता है। अभी तक रा.आ.वि. इस प्रकार के 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम कर चुका है। वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने ऐसे तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

4.7. आयुर्वेद के स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए 'शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसरों' पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :

सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि वैश्विक वैज्ञानिक साहित्य में आयुर्वेद की हिस्सेदारी मामूली है अर्थात् आयुर्वेद का योगदान बहुत कम है। प्रतिवर्ष आयुर्वेद में बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर (पी.जी.) और विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) पूरा करने वालों के बावजूद प्रकाशित अनुसन्धान की संख्या नगण्य रहती है। इसका कारण यह है कि आयुर्वेद में किये गए अनुसन्धान का स्तर अच्छा नहीं रहता, जो प्रकाशन के योग्य नहीं होता। यह भी पाया गया कि आयुर्वेद में अच्छे स्तर का अनुसन्धान न किया जाना मूल रूप से आयुर्वेद के स्नातकोत्तर शिष्यों द्वारा अनुसन्धान विषयों की अच्छी जानकारी न होने का परिणाम है। रा0आ0वि0 ने हाल ही में इस अन्तराल को महसूस किया है और आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए अनुसन्धान विधियों/शोध पद्धतियों, पाण्डुलिपि लेखन और साथ ही आजीविका अवसर संबंधी मार्गदर्शन पर केन्द्रित करते हुए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया है। वर्ष 2015–16 में ऐसे तीन कार्यक्रम लखनऊ, पुणे एवं कोलकाता में आयोजित किये गए।

4.8. प्रकाशन :

विद्यापीठ आयुर्वेद की कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है, जो जन–साधारण में जागरूकता पैदा करती हैं और साथ ही आयुर्वेद एवं संबंध विज्ञानों के विद्यार्थियों तथा पेशेवरों के लिए भी उपयोगी हैं। यह विद्यापीठ, आवश्यक पुनरीक्षा एवं विशेषज्ञ–समिति की संस्तुतियों तथा शासी निकाय से अनुमोदन लेने के पश्चात्, अपने शिष्यों के शोधप्रबन्धों का प्रकाशन भी करता है। रा.आ.वि. ने अभी तक 22 स्मारिकाएं और दो वर्ष के पाठ्यक्रम वाले अपने शिष्यों द्वारा प्रस्तुत शोधप्रबन्धों पर आधारित चार पुस्तकों सहित 10 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। सम्भाषा कार्यशालाओं से संबंधित चौबीस प्रश्नोत्तरी वाली पुस्तकों का प्रकाशन भी इस विद्यापीठ द्वारा किया गया है।

रा0आ0वि0 ने 'आयुर्वेद में प्रयुक्त औषधीय पौधे' नामक अत्यधिक प्रशंसनीय पुस्तक का द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में औषधीय पौधों के रूप में 600 नई प्रविष्टियां शामिल की गई हैं और वर्ष 2015–16 के दीक्षान्त समारोह के दौरान इसका विमोचन किया गया था।

5. तकनीकी रिपोर्ट : (वर्ष 2015–16 के दौरान के क्रिया–कलाप)

5.1. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान शासी निकाय की दो बैठकें तथा स्थायी वित्त समिति की दो बैठकें भी आयोजित की गई थी। विवरण निम्नवत् है :–

(क) शासी निकाय की बैठकें :

वर्ष के दौरान शासी निकाय की दो बैठकें (40$^{वीं}$ एव 41$^{वीं}$ बैठकें) क्रमशः 25 जून, 2015 एवं 9 अक्तूबर, 2015 को आयोजित की गई थी, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :–

25 जून, 2015 को आयोजित शासी निकाय की 40$^{वीं}$ बैठक :

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1. 'पद्म भूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा, नई दिल्ली– अध्यक्ष शासी निकाय।
2. श्री अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय– पदेन सदस्य।
3. डॉ0 मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय– पदेन सदस्य।
4. डॉ0 बल्लव कुमार जयसिंह, पुरी, उड़ीसा–सदस्य।
5. वैद्य शिव कुमार मिश्रा, नई दिल्ली– सदस्य।
6. वैद्या (श्रीमती) शशिकला भगवान अहिरे, नासिक– सदस्य।

7. डॉ0 उमा शंकर निगम, मुम्बई–सदस्य।
8. डॉ0 संजय आर. तलमले, नागपुर–सदस्य।
9. डॉ0 संजीव रस्तोगी, सदस्य सचिव एवं निदेशक, रा0आ0वि0
10. श्री राजकुमार, निदेशक, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली– आमंत्रित सदस्य
11. श्री के. सीतारमण, परामर्शदाता, एन.आई, आयुष मंत्रालय–आमंत्रित सदस्य

शासी निकाय की 40वीं बैठक में लिये गए प्रमुख निर्णय :

शासी निकाय की 40वीं बैठक 25 जून, 2015 को आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया था :

1. वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया गया।
2. वर्ष 2015–16 के लिए बजट प्राक्कलन का अनुमोदन किया गया।
3. वात की 'अवरितत्व एवं गतत्व' की अवधारणा की नैदानिक प्रासंगिकता विषय में सम्भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुमोदन किया गया।
4. वाराणसी, जयपुर और बैंगलोर में आयुर्वेदिक शिक्षकों के लिए प्रति कार्यक्रम केवल 5 लाख रुपये की बजटीय सीमाओं के अन्तर्गत तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुमोदन किया गया।
5. फरवरी/मार्च, 2016 के दौरान नई दिल्ली में केवल 22 लाख रुपये की समग्र अधिकतम सीमा के अन्तर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं दीक्षान्त समारोह आयोजित करने का अनुमोदन किया गया।

9 अक्तूबर, 2015 को आयोजित शासी निकाय की 41वीं बैठक :

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1. 'पद्म भूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा, नई दिल्ली –अध्यक्ष शासी निकाय।
2. श्री जी. आर. रैगर, उप–सचिव, नई दिल्ली –पदेन सदस्य।

   (अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि)
3. श्री अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय –पदेन सदस्य
4. डॉ0 मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद) –पदेन सदस्य।
5. डॉ0 राजेश कोटेचा, कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर –पदेन सदस्य

6. डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे –सदस्य।
7. प्रो0 ए. शंकर बाबू, तिरुपति – सदस्य।
8. डॉ0 (श्रीमती) एच. आर. विजया शेषाद्रि, चेन्नई –सदस्य।
9. वैद्य शिव कुमार मिश्रा, नई दिल्ली – सदस्य।
10. डॉ0 निरंजन सिंह त्यागी, हापुड – सदस्य।
11. डॉ0 संजीव गोयल, चंड़ीगढ़– सदस्य।
12. डॉ. संजीव रस्तोगी, निदेशक (रा.आ.वि.), दिल्ली –सदस्य सचिव
13. श्री राजकुमार, निदेशक, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली –आमंत्रित सदस्य
14. श्री के. सीतारमण, परामर्शदाता, एन.आई, आयुष मंत्रालय–आमंत्रित सदस्य

शासी निकाय की 41वीं बैठक में लिये गए मुख्य निर्णय :

1. संगोष्ठी के विषय के रूप में 'बस्तिकर्म' अनुमोदित किया गया।
2. शासी निकाय ने रत्नसदस्य (एफ.आर.ए.वी.) और 'लाइफ टाईम अचीफमेन्ट अवार्ड' के चयन के लिए शासी निकाय की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया और उसकी संस्तुतियों को अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
3. एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा को संशोधित करके 30 वर्ष तथा सरकार के मानदण्डों के अनुसार आरक्षण के तहत छूट का प्रावधान किया गया।

(ख) स्थायी वित्त समिति की बैठक

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान स्थायी वित्त समिति की दो बैठकें दिनांक 15 जून, 2015 एवं 18 अगस्त, 2015 को स्थायी वित्त समिति के पदेन सदस्यों के साथ आयोजित की गई थीं।

दोनों बैठकों में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय– पदेन सदस्य
2. श्री जी. आर. रैगर, उप–सचिव, (अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि)– –पदेन सदस्य।
3. डॉ0 मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय – पदेन सदस्य
4. प्रो0 ए. शंकर बाबू, जिला–चित्तौर, (आन्ध्र प्रदेश)–सदस्य
5. वैद्य शिव कुमार मिश्रा, नई दिल्ली– सदस्य।

6. श्री राजकुमार, निदेशक, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली– आमंत्रित सदस्य
7. श्री सोम दत्त शर्मा, अवर सचिव (एस.डी.एस) आयुष मंत्रालय, दिल्ली–आमंत्रित सदस्य
8. श्री के. सीतारमण, परामर्शदाता, एन.आई, आयुष मंत्रालय–आमंत्रित सदस्य
9. डॉ0 संजीव रस्तोगी, निदेशक, रा0आ0वि0– सदस्य सचिव

स्थायी वित्त समिति की 24वीं बैठक में लिये गए मुख्य निर्णय :

दिनांक 15 जून, 2015 को स्थायी वित्त समिति की 24वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया था :

1. समिति ने वर्ष 2014–15 के रा0आ0वि0 के वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया।
2. चालू वर्ष के लिए बैंगलोर, जयपुर एवं वाराणसी में प्रति कार्यक्रम 5 लाख रुपये की बजटीय सीमाओं में तीन कार्यक्रम आयोजित करने का अनुमोदन किया।
3. 5 लाख रुपये के अनुमोदित बजट की अन्तर्गत वात की 'अवरितत्व एवं गतत्व' की अवधारणा की नैदानिक प्रासंगिकता पर सम्भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुमोदन किया गया।
4. फरवरी/मार्च, 2016 के दौरान नई दिल्ली में 'भोजन एवं पोषण का आयुर्वेदिक विज्ञान, सिद्धान्त एवं अभ्यास' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का अनुमोदन किया गया।

स्थायी वित्त समिति की 25वीं बैठक में लिये गए मुख्य निर्णय :

दिनांक 18 अगस्त, 2015 को स्थायी वित्त समिति की 25वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया था :

1. कायचिकित्सा (आंतरिक औषधी) पाठ्यपुस्तक तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2. वर्ष 2015–16 के लिए रा0आ0वि0 का विस्तृत व्यय बजट अनुमोदित किया गया।
3. स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए पुणे, लखनऊ एवं कोलकाता में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित किये गए।
4. रा0आ0वि0 द्वारा एक द्वि–वार्षिक पत्रिका प्रारम्भ करने का अनुमोदन किया गया।
5. रा0आ0वि0 के निदेशक के लिए एक तकनीकी सहायक नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया।

5.2. गुरु शिष्य परम्परा :

(क) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)

रा.आ.वि. के प्रमाणपत्र पाठ्क्रम के गुरुजनों का चयन :

वर्ष 2015–16 में नए सत्र के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम में गुरुजनों की नियुक्ति हेतु 10 दिसम्बर, 2015 को 'विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.)' के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर सभी प्रमुख समाचारपत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। भावी वैद्यों/विद्वानों से लगभग 70 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

प्राप्त आवेदनपत्रों की जांच के लिए रा.आ.वि. के शासी निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन से निम्नलिखित सदस्यों वाले शासी निकाय की एक उपसमिति गठित की गई थी :–

1. **डॉ0 मनोज नेसरी,** — **अध्यक्ष**
   सलाहकार (आयुर्वेद),
   आयुष मंत्रालय,
   'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
   आई. एन. ए.,
   नई दिल्ली–110 023
2. **वैद्य शिव कुमार मिश्रा,** — **सदस्य**
   पूर्व सलाहकार (आयुर्वेद) भारत सरकार,
   ए–604, टावर अपार्टमैन्ट्स,
   स्वास्थ्य विहार,
   दिल्ली–110 092
3. **डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे,** — **सदस्य**
   6, राजश्री अपार्टमेंट्स,
   नीलगिरि लेन,
   बनेर रोड़,
   पुणे–411 007 (महाराष्ट्र)
4. **डॉ0 निरंजन सिंह त्यागी,** — **सदस्य**
   स्वर्ग आश्रम रोड,
   हापुड़–245 101 (उ0प्र0)
5. **डॉ. संजीव रस्तोगी,** — **सदस्य सचिव**
   निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

उपरोक्त समिति ने आवेदनपत्रों की जांच की और पात्रता एवं मानदण्डों के अनुसार 70 आवेदनपत्रों में से 24 नामों का चयन किया। इसके अतिरिक्त शासी निकाय के सदस्यों द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार कुछ नामों पर भी विचार किया गया था। गुरुजनों के नामों को अन्तिम रूप देने के लिए 12 फरवरी, 2016 को अन्य उपसमिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें 38 नाम अनुमोदित किये गए और निरीक्षण रिपोर्टों के बाद विचार किये जाने के लिए 24 नामों को रोका गया था। विभिन्न आवेदकों के स्थानों का निरीक्षण करने के बाद 11 नामों पर विचार किया गया, इस प्रकार 44 वैयक्तिक गुरुजनों और 5 संस्थागत गुरुजनों को शामिल करते हुए कुल 49 गुरुजनों का चयन किया गया है। बाद में चुने गए 1 वैयक्तिगत गुरु ने गुरु पद लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, अतः निरीक्षण के बाद एक नए गुरु को सूची में लिया गया था। इस वर्ष के लिए सी.आर.ए.वी के लिए सूचीबद्ध गुरुजनों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रमांक	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विषय
1.	डॉ. विजयन् नांगेलिल, कोथामंगलम् (केरल)	अस्थि चिकित्सा एवं मर्म चिकित्सा
2.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थि चिकित्सा
3.	डॉ. रामदास म्हालुजी अवहाड, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
4.	डॉ. के. चिदंबरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
5.	वैद्य बी. पी. गुप्ता, दिल्ली	कायचिकित्सा
6.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
7.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएडा (उ0प्र0)	कायचिकित्सा
8.	डॉ. गुजराती नरेन्द्र नारायणदास, जलगॉव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
9.	प्रो0 राम हर्ष सिंह, वाराणसी (उ0प्र0)	कायचिकित्सा
10.	डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकन्दराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा
11.	वैद्य परशुराम यशवन्त वैद्य, खड़ीवाले, पुणे (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
12.	वैद्य रवीन्द्र वात्स्यायन, लुधियाना (पंजाब)	कायचिकित्सा
13.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
14.	डॉ. मधुसूदन देश पाण्डेय, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा
15.	डॉ. दमनिया पंचाभाई, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा

16.	वैद्य जगजीत सिंह, मोहाली (पंजाब)	कायचिकित्सा
17.	डॉ. सी. एम. श्रीकृष्णन्न, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा
18.	वैद्य मां अनंतानंद तीरथ, अहमदाबाद (गुजरात)	कायचिकित्सा
19.	डॉ. रमेश आर. वारियर, मदुरई (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
20.	डॉ. ए. बी. शशिधरन नायर,, चंगनचेरी, केरल	कायचिकित्सा
21.	वैद्य जयंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
22.	डॉ. विनय वासुदेव वेलंकर, ठाणे (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
23.	डॉ. रविशंकर पेरवाजे, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक	कायचिकित्सा
24.	डॉ. रघुराज चतुर्वेदी, विदिशा (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा
25.	वैद्य तारा चन्द्र शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
26.	वैद्य सुरेश चतुर्वेदी, मुम्बई (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
27.	वैद्य जगदीश्वरी प्रसाद मिश्रा "बंसत", सीतामढ़ी (बिहार)	कायचिकित्सा
28.	डॉ. संतोष भगवानरॉव नेवपुरकर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
29.	डॉ. ईश्वर चन्द्र, नांगल (पंजाब)	कायचिकित्सा
30.	डॉ. मुकुल पटेल, सूरत (गुजरात)	क्षारसूत्र
31.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र
32.	डॉ. रमण सिंह, वाराणसी (उ0प्र0)	क्षारसूत्र
33.	डॉ. दिनेश चन्द्र, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	क्षारसूत्र
34.	डॉ. के. वी. एस. रॉव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र
35.	प्रो. लालता प्रसाद, बरेली (उ0प्र0)	क्षारसूत्र
36.	डॉ. सतपाल गुप्ता, अंबाला	क्षारसूत्र
37.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हि0प्र0)	क्षारसूत्र
38.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्रचिकित्सा
39.	डॉ. डी. रामानाथन, (सीताराम फार्मेसी) त्रिशूर (केरल)	फार्मेसी
40.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महा.)	फार्मेसी

41.	डॉ. विजय दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी
42.	डॉ. एल. सुचरिता, बैंगलोर (कर्नाटक)	स्त्रीरोग
43.	प्रो. प्रेमवती तिवारी, वाराणसी (उ0प्र0)	स्त्रीरोग
44.	डॉ. जयसुख रामजीभाई मकवाना, राजकोट (गुजरात)	दन्त चिकित्सा
45.	डॉ. पी. माधवनकुट्टी वारीयर, (आर्य वैद्य शाला) कोट्टाकल (केरल)	संस्थागत गुरु
46.	डॉ. एन. पी. परमेश्वरन नम्बूदरी (श्रीधरियम) कूटट्टुकुलम, एर्नाकुलम (केरल)	संस्थागत गुरु
47.	वैद्य एस. पी. सर्देशमुख, भारतीय संस्कृत दर्शन ट्रस्ट, पुणे, (महाराष्ट्र)	संस्थागत गुरु
48.	डॉ. पी. आर. कृष्ण कुमार, आर्यावैद्य चिकित्सालयम एवं अनुसन्धान संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	संस्थागत गुरु
49.	डॉ. कंदर्प देसाई, (श्रीमती मणिबेन अमृतलाल हरगोवन अस्पताल), अहमदाबाद (गुजरात)	संस्थागत गुरु

(ख) रा.आ.वि.का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के शिष्यों का प्रवेश एवं प्रशिक्षण :

इस वर्ष के दौरान शिष्यों को प्रवेश देने के उद्देश्य से 13 जनवरी, 2016 को पूरे देश के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को इन विज्ञापनों की प्रतियाँ उनके सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित करने के लिए भेजी गई थी। विज्ञापनों की प्रतियाँ पाठ्य–विवरणिका एवं अन्य नियमावली के साथ सभी गुरुजनों एवं शासी निकाय के सदस्यों को भी भेजी गई थी।

विज्ञापन के प्रत्युत्तर में लगभग 321 आवेदनपत्र प्राप्त हुए और उनकी जांच की गई थी। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 321 पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी किए गए थे, जो 14 फरवरी, 2016 को दिल्ली तथा बैंगलोर के पूर्व अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई थी। दिल्ली केन्द्र में 174 शिष्यों और बैंगलोर केन्द्र में 128 शिष्यों ने परीक्षा दी। दोनों केन्द्रों में कुल 302 आवेदकों ने परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के लिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया गया था। योग्यता के आधार पर कुल 140 शिष्य चुने गए सभी को प्रवेश लेने

हेतु पत्र जारी कर दिये गए थे तथापि प्रवेश लेने के समय की समाप्ति तक केवल 74 शिष्यों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। पहली योग्यता सूची के प्रवेश की तारीख समाप्त होने के बाद प्रतीक्षासूची से 64 और शिष्यों का चयन किया गया ताकि 49 गुरुजनों के लिए शेष स्थानों को भरा जा सके। प्रतीक्षासूची के 64 शिष्यों में से केवल 39 शिष्यों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। इस प्रकार निम्नलिखित 113 शिष्य 42 गुरुजनों के अधीन प्रशिक्षण ले रहे हैं। ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्रमांक	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विशेषज्ञता	शिष्यों की संख्या
1.	डॉ. एल. सुचरिता, बैंगलोर (कर्नाटक)	स्त्रीरोग	2
2.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्रचिकित्सा	2
3.	डॉ. मुकुल पटेल, सूरत (गुजरात)	क्षारसूत्र	1
4.	डॉ. रामदास म्हालुजी अवहाड, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
5.	डॉ. के. चिदंबरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	4
6.	वैद्य बी. पी. गुप्ता, दिल्ली	कायचिकित्सा	2
7.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	2
8.	डॉ. रमण सिंह, वाराणसी (उ0प्र0)	क्षारसूत्र	2
9.	डॉ. नरेन्द्र नारायणदास गुजराती, जलगॉव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	1
10.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएडा (उ0प्र0)	कायचिकित्सा	1
11.	डॉ. दिनेश चन्द्र, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	क्षारसूत्र	2
12.	डॉ. के. वी. एस. रॉव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र	3
13.	प्रो0 राम हर्ष सिंह, वाराणसी (उ0प्र0)	कायचिकित्सा	2
14.	डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकन्दराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा	1
15.	वैद्य परशुराम यशवन्त वैद्य खड़ीवाले, पुणे (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
16.	प्रो. लालता प्रसाद, बरेली (उ0प्र0)	क्षारसूत्र	1
17.	डॉ. विजयन् नांगेलिल, एर्नाकुलम (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा	3

18.	वैद्य रवीन्द्र वात्स्यायन, लुधियाना (पंजाब)	कायचिकित्सा	1
19.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	3
20.	डॉ. मधुसूदन देश पाण्डेय, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा	2
21.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थिचिकित्सा	4
22.	डॉ. पी. माधवनकुट्टी वारीयर, कोट्टाकल (केरल) **संस्थागत गुरु**	कायचिकित्सा	7
23.	डॉ. एन. पी. परमेश्वरन नम्बूदरी (श्रीधरियम) कूतट्टुकुलम, एर्नाकुलम (केरल) **संस्थागत गुरु**	नेत्रचिकित्सा	7
24.	वैद्य एस. पी. सर्देशमुख, पुणे, (महाराष्ट्र) **संस्थागत गुरु**	कायचिकित्सा	6
25.	डॉ. पी. आर. कृष्ण कुमार, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) **संस्थागत गुरु**	कायचिकित्सा	8
26.	डॉ. दमनिया पंचाभाई, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा	2
27.	डॉ. सी. एम. श्रीकृष्णन्, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	2
28.	वैद्य जगजीत सिंह, मोहाली (पंजाब)	कायचिकित्सा	1
29.	डॉ. डी. रामानाथन, (सीताराम फार्मेसी) त्रशूर (केरल)	फार्मेसी	3
30.	प्रो. प्रेमवती तिवारी, वाराणसी (उ0प्र0)	स्त्रीरोग	2
31.	वैद्य मां अनंतानंद तीरथ, अहमदाबाद (गुजरात)	कायचिकित्सा	2
32.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महा.)	फार्मेसी	2
33.	डॉ. कंदर्प देसाई, अहमदाबाद (गुजरात) **संस्थागत गुरु**	कायचिकित्सा	6
34.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हि0प्र0)	क्षारसूत्र	1
35.	डॉ. रमेश आर. वारियर, मदुरई (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	4
36.	डॉ. ए. बी. शशिधरन नायर, चंगनचेरी, केरल	कायचिकित्सा	3
37.	वैद्य जयंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
38.	डॉ. विनय वासुदेव वेलंकर, ठाणे (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	1

39.	डॉ. रविशंकर पेरवाजे, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक	कायचिकित्सा	4
40.	डॉ. रघुराज चतुर्वेदी, विदिशा (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा	2
41.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र	3
42.	डॉ. विवेक दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मेसी	2
		कुल योग	**113**

5.3 विद्यापीठ का वार्षिक दीक्षान्त समारोह :

विद्यापीठ का वार्षिक दीक्षान्त समारोह 14 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस समारोह में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री श्रीपद येस्सो नायक जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर समारोह की शोभा बढ़ाई तथा भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के माननीय सचिव श्री अजित एम. शरन ने भी गौरव अतिथि के रूप में भाग लिया। दीक्षान्त भाषण डॉ0 राजेश कोटेचा, कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर द्वारा दिया गया था। शासी निकाय के अध्यक्ष, 'पदम भूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा ने समारोह की अध्यक्षता की। जिन बयालीस (42) शिष्यों ने अपना एक वर्षीय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया था, उन्हें रा0आ0वि0 का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के 10 प्रख्यात वैद्यों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की रत्नसदस्यता (फैलोशिप) से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध विद्वानों को आयुर्वेद की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जीवनपर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफ टाइम अचीवमेंट) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

क) रा0आ0वि0 पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र पुरस्कार :

जिन 42 शिष्यों ने निम्नलिखित गुरुजनों के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन्हें दीक्षान्त समारोह के दौरान रा0आ0वि0 का प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया था :–

क्रमांक	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	प्रशिक्षित शिष्यों की संख्या
1.	डॉ. रामदास म्हालुजी अवहाड, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	1
2.	डॉ. के. चिदम्बरम, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	1
3.	वैद्य बी. पी. गुप्ता, दिल्ली	1
4.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली	1

5.	डॉ. सत्य प्रकाश गुप्ता, मुरादाबाद (उ0प्र0)	1
6.	प्रो0 राम हर्ष सिंह, वाराणसी (उ0प्र0)	2
7.	डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकन्दराबाद (तेलंगाना)	1
8.	वैद्य रवीन्द्र वात्स्यायन, लुधियाना (पजाब)	1
9.	वैद्यरत्न महेश दत्त शर्मा 'शास्त्री', जबलपुर (म0प्र0)	1
10.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	2
11.	डॉ. मधु सूदन देशपांडे, भोपाल (म0प्र0)	2
12.	डॉ. पी. माधवनकुट्टी वारीयर, कोट्टाकल (केरल)	2
13.	वैद्य एस. पी. सर्देशमुख, पुणे, (महाराष्ट्र)	1
14.	डॉ. पी. आर. कृष्ण कुमार, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	1
15.	वैद्य जगजीत सिंह, मोहाली (पंजाब)	2
16.	वैद्य जगदीश प्रसाद शर्मा, सीकर (राजस्थान)	2
17.	वैद्य मां अनन्तानन्द तीरथ, अहमदाबाद (गुजरात)	1
18.	डॉ. एल. सुचरिता, बैंगलोर (कर्नाटक)	1
19.	प्रो. प्रेमवती तिवारी, वाराणसी (उ0प्र0)	1
20.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	2
21.	डॉ. एन. पी. परमेश्वरन नम्बूदरी, कूतट्टुकुलम, एर्नाकुलम	1
22.	डॉ. मुकुल पटेल, सूरत (गुजरात)	2
23.	डॉ. प्रग्नेश डी. पांड्या, भावनगर (गुजरात)	1
24.	डॉ. रमण सिंह, वाराणसी	2
25.	डॉ. के. वी. एस. राव, भिलाई	2
26.	डॉ. विजयन् नांगेलिल, कोथामंगलम्, एर्नाकुलम	2
27.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	1
28.	डॉ. जयसुख रामजीभाई मकवाना, राजकोट (गुजरात)	2
29.	डॉ. डी. रामानाथन, त्रिशूर (केरल)	2
	कुल	**42**

ख) रत्नसदस्यता (फेलोशिप) प्रदान करना :

वर्ष 2015–16 के दौरान दि0 14 मार्च, 2016 को आयोजित विद्यापीठ के 20वें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री श्रीपद येस्सो नायक जी द्वारा आयुर्वेद के 10 प्रसिद्ध विद्वानों एवं वैद्यों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की रत्नसदस्यता (फेलोशिप) से सम्मानित किया गया। इन विद्वानों की सूची निम्नलिखित है :–

1. वैद्य हरि शंकर भारद्वाज, दिल्ली
2. डॉ. वी. वी. प्रसाद, नाडियाड (गुजरात)
3. डॉ0 राम बाबू द्विवेदी, हरदोई (उ.प्र.)
4. प्रो0 (डॉ.) एच.एम. चंदोला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
5. डॉ. अनन्त धर्माधिकारी, पुणे (महाराष्ट्र)
6. डॉ0 (श्रीमती) एच. आर. विजया शेषाद्रि, चेन्नई (तमिलनाडु)
7. डॉ0 निरंजन सिंह त्यागी, हापुड़ (उ0प्र0)
8. डॉ0 एम. एस. बघेल, जयपुर (राजस्थान)
9. वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली
10. प्रो0 (डॉ0) बल्लव कुमार जयसिंह, पुरी (उडीसा)

ग) जीवनपर्यन्त उपलब्धियों का सम्मान (लाइफटाइम एचीवमेंट अवार्ड) :

आयुर्वेद की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आयुर्वेद के दो विख्यात विद्वान 'लाइफटाइम एचीवमें अवार्ड' से सम्मानित किये गए :

1. वैद्य पन्नियामपिल्लि कृष्णन्कुट्टी वारियर, कोट्टाकल
2. वैद्य परशुराम यशवन्त, खड़ीवालेवैद्य, पुणे

5.4 'बस्ति कर्म–स्वास्थ्य एवं रोग में निहितार्थ' पर राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी।

प्रत्येक वर्ष यह विद्यापीठ ऐसे रोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करता है जिसके लिए विचार– विमर्श तथा विचारों का आदान–प्रदान तथा इसके निदान एवं उपचार संबंधी औषधालय अनुभव एवं अनुसन्धान परिणामों का प्रसार किए जाने की आवश्यकता होती है।

इस वर्ष विद्यापीठ ने 14–15 मार्च, 2016 को 'बस्ति कर्म–स्वास्थ्य एवं रोग में निहितार्थ पर दो दिवसीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और रा.आ.वि. के शासी निकाय के अध्यक्ष 'पद्म भूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा ने इस समारोह की अध्यक्षता की।

उपरोक्त संगोष्ठी आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था:

'बस्ति पंचकर्म का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य वात रोगों का उपचार करना हैं। इसका पूरे देश में आयुर्वेदिक औषधालयों और चिकित्सालयों में व्यापक रूप से कर्माभ्यास किया जाता है।

बस्ति को इसको तैयार करने की विधियों, संकेतों, विरोधाभासों और वास्तविक प्रक्रिया के सन्दर्भ में आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में बस्ति का सुस्पष्ट वर्णन किया गया है। कई प्राथमिक वात रोगों अथवा गौण रोगों, जिनमें वात बाद के चरण में अन्तर्ग्रस्त हो जाता है, के उपचार में बस्ति का उपयोग किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश विभिन्न रोग दशाओं में बस्ति के प्रयोग के संबंध में आयुर्वेद के ऐसे दावों की वैज्ञानिक रूप से वैध होने की पुष्टि नहीं होती है।

यह संगोष्ठी बस्ति और इसके औषधीय निहितार्थ के सन्दर्भ में इस क्षेत्र में किये गए सभी अनुसन्धान कार्यों को सामने लाने का एक प्रयास था।

इस संगोष्ठी में वैज्ञानिकों सहित इस क्षेत्र के बहुत से अग्रणी व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिन्होंने बस्ति कार्य से संबंधित संभाव्य तंत्रों पर प्रकाश डाला।

रा0आ0वि0 ने अधिमानतः बस्तिकर्म पर अनुसन्धान परिणाम एवं वैद्यों के अनुभवों के प्रसार को सहज बनाने के उद्देश्य से विषय विशेषज्ञों एवं अनुभवी आयुर्वेदिक व्यक्तियों से वैज्ञानिक आंकड़ों सहित औषधालयी अध्ययनों पर मूल लेख आमंत्रित किये थे।

इन दो दिनों में औषधालय अध्ययनों पर 29 चुनिंदा लेखों वाली स्मारिका को विमोचित किया गया और इन दो दिनों में वैद्यों तथा अनुसन्धानकर्ताओं द्वारा सभी 29 वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत किए गए थे।

5.5. आयुर्वेद के अध्यापकों एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रीय सम्भाषा कार्यशालाएं :

स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों, कनिष्ठ अध्यापकों एवं युवा वैद्यों के लिए सम्भाषा कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहीं हैं, जिनमें वह अपने दैनिक कर्माभ्यास में आने वाली शंकाओं तथा पाठ्य विषय से संबंधित संदिग्ध विषयों के संबंध में स्पष्टीकरण और वैज्ञानिक समझ एवं समाधान प्राप्त कर सकें।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान विद्यापीठ ने अपनी 24वीं सम्भाषा कार्यशाला वात की 'आवृतत्व एवं गतत्व' की अवधारणा की नैदानिक प्रासंगिकता विषय में दिनांक 16–17 दिसम्बर, 2015 को उडुपी (कर्नाटक) पर आयोजित की थी। इस कार्यषाला में 19 से अधिक विषेषज्ञों एवं लगभग 55 सहभागियों ने भाग लिया। गुरुजनों एवं शिष्यों के बीच हुए सम्भाषा को एक स्मारिका के रूप में भी प्रकाशित किया गया।

5.6 'संहिताओं पर आधारित औषधीय निदान' पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :

वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों द्वारा संहिताओं (ग्रन्थों) पर आधारित जांच करने के नैदानिक तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, क्योंकि यह पाया गया था कि कई संस्थानों के चिकित्सा अभिलेखों में दशविध परीक्षा, सोतस परीक्षा आदि जैसी सूचना नहीं थी। संहिताओं पर आधारित जांच की नैदानिक कला के तरीके और आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन तरीके विलुप्त हो रहे हैं। कई अध्यापकों ने आयुर्वेदिक निदान के तरीकों की यह कला सीखने में रुचि दिखाई।

अतः आयुर्वेद के ग्रन्थों तथा आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन पद्धति पर आधारित नैदानिक निदान कला के कर्माभ्यास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने औषधी, विकृति विज्ञान और आयुर्वेद पंचकर्म के अध्यापकों के लिए निम्नलिखित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये :–

क्रमांक	स्थान	अवधि
1.	बैंगलोर	29–30 जुलाई, 2015
2.	वाराणसी	12–13 अगस्त, 2015
3.	जयपुर	2–3 सितम्बर, 2015

इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रख्यात विद्वानों ने व्याख्यान दिये और व्यावहारिक सत्र आयोजित किए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लगभग 90 अध्यापक लाभान्वित हुए।

5.7. आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 'शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसरों' पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :

रा.आ.वि. ने महसूस कि आयुर्वेद में अच्छे स्तर का अनुसन्धान न किया जाना मूल रूप से आयुर्वेद के स्नातकोत्तर शिष्यों द्वारा अनुसन्धान विषयों की अच्छी जानकारी न होने का परिणाम है और आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए अनुसन्धान विधियों/शोध पद्धतियों, पाण्डुलिपि लेखन और साथ ही आजीविका अवसर संबंधी मार्गदर्शन पर केन्द्रित करते हुए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया है। वर्ष 2015– 16 में ऐसे तीन कार्यक्रम आयोजित किये गए थे। ये त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थे जिनमें आयुर्वेद एवं संबद्ध विषयों के अनुसन्धान में उच्च दक्षता प्राप्त वरिष्ठ संकाय शामिल थे। पूरे देश के आयुर्वेद स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से भागीदार आमंत्रित किये जाते हैं। यह देखा गया कि आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की काफी प्रशंसा और

मांग की गई। अब तक इन कार्यक्रमों में लगभग 120 आयुर्वेद स्नातकोत्तर विद्वानों को प्रशिक्षण दिया गया है।

रा0आ0वि0 ने शोध पद्धतियों, पाण्डुलिपि लेखन और आजीविका अवसरों पर आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए निम्नलिखित तीन स्थानों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे:

क्रमांक	स्थान	अवधि
1.	लखनऊ	27–29 अक्तूबर, 2015
2.	पुणे	21–23 दिसम्बर, 2015
3.	कोलकाता	6–8 जनवरी, 2016

5.8. प्रकाशन/पुस्तकों की बिक्री :

वर्ष के दौरान, विद्यापीठ ने बस्ति कर्म–स्वास्थ्य एवं रोग में निहितार्थ' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान एक स्मारिका का प्रकाशन किया है।

दिनांक 14–15 मार्च, 2016 के दौरान 20वें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर श्री श्रीपद येस्सो नायक, माननीय मंत्री, आयुष मंत्रालय ने 'आयुर्वेद में प्रयुक्त औषधीय पौधे' के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया था, जिसे डॉ0 संजीव रस्तोगी, निदेशक, रा0आ0वि0 तथा प्रो0 वी0वी0 प्रसाद द्वारा सम्पादित किया गया एवं डॉ0 के.सी. चुनेकर और डॉ. सी.एल. यादव द्वारा समेकित किया गया था।

वर्ष के दौरान विद्यापीठ ने ₹ 4,43,904/– (रुपये चार लाख तैंतालीस हजार नौ सौ चार मात्र) मूल्य के अपने प्रकाशनों की बिक्री की थी।

5.9. अन्य क्रिया–कलाप

क) आरोग्य प्रदर्शनी में भागीदारी :

विद्यापीठ ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी द्वारा आयोजित सात आरोग्य प्रदर्शनियों में भाग लिया था। विवरण निम्नलिखित है:–

- पहला आरोग्य 21–24 मई, 2015 तक तिरुवन्तपुरम में आयोजित किया गया।
- दूसरा आरोग्य 12–15 दिसम्बर, 2015 तक वाराणसी में आयोजित किया गया।
- तीसरा आरोग्य 3–7 जनवरी, 2016 तक बैंगलोर में आयोजित किया गया।
- चौथा आरोग्य 5–8 फरवरी, 2016 तक देहरादून में आयोजित किया गया।
- पांचवा आरोग्य 12–15 फरवरी, 2016 तक रांची में आयोजित किया गया।

- छठा आरोग्य 19–26 मार्च, 2016 तक पुणे में आयोजित किया गया।
- सतवां आरोग्य 26–29 मार्च, 2016 तक गोवा में आयोजित किया गया।

आरोग्य प्रदर्शनियों के दौरान स्टाल लगाये गये थे और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के क्रिया–कलापों को प्रदर्शित करने के लिए पोस्टर एवं प्रकाशनों का प्रदर्शन किया गया था। इन मेलों के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रकाशनों की बिक्री के अतिरिक्त क्रियाकलापों तथा उपलब्धियों के सम्बन्ध में सूचना विवरणिका हिन्दी एवं अंग्रेजी में दर्शकों को निःशुल्क वितरित की गई।

ख) सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केन्द्रीय क्षेत्र योजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन

यह विद्यापीठ प्रधान कार्यालय के रूप में आयुष मंत्रालय की सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सेंट्रल सेक्टर स्कीम) का कार्यान्वयन करता रहा है। ये कार्यक्रम देश भर के चुनींदा संस्थाओं में शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों और आयुष तंत्र के अन्य कार्मिकों के ज्ञान को उन्नत बनाने और उन्हें संबंधित विषयों में रोग निदान, उपचार, औषध आदि के क्षेत्रों में प्रगति एवं अनुसन्धान परिणामों की जानकारी देने के उद्देश्य से किये गए थे। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अलावा आयुष एवं एलोपैथी चिकित्सकों के लिए योग एवं आयुष के अन्य विषयों में पुनर्बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई थी ।

वर्ष 2015–16 के दौरान अध्यापकों के लिए 16 सी.एम.ई., चिकित्सकों (डाक्टरों) के लिए 10 सी.एम.ई. परायिकित्सकों/चिकित्सा सहायकों के लिए 2 सी.एम.ई, प्रबन्धन प्रशिक्षण के लिए 1 सी. एम.ई. को शामिल करते हुए 29 सी.एम.ई. कार्यक्रमों के लिए 180.00 लाख रुपये मात्र की निधि जारी की गई है और इस वर्ष के दौरान 26 संस्थाओं/महाविद्यालयों के लंबित पड़े हुए 193.25 लाख धनराशि के 30 उपयोग प्रमाणपत्रों का परिसमापन भी किया गया था।

वर्ष 2015–16 के दौरान अध्यापकों एवं चिकित्सकों के लिए जारी आयुष के सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण : अनुबन्ध–1

क्र.	राज्य	संस्थाओं की संख्या	आयुर्वेद		होम्योपैथी		यूनानी		सिद्धा		योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा		आमची (सोवा रिग्पा)	विविध	जारी धनराशि (लाख रु० में)
		सरकारी + गैर– सरकारी	अध्यापकों के लिए सी. एम. ई.	वैद्यों के लिए सी.एम. ई. (6 दिन)	अध्यापकों के लिए सी. एम. ई.	वैद्यों के लिए सी. एम. ई. (6 दिन)	अध्यापकों के लिए सी. एम. ई.	वैद्यों के लिए सी. एम. ई. (6 दिन)	अध्यापकों के लिए सी. एम. ई.	वैद्यों के लिए सी. एम. ई. (6 दिन)	सी. एम. ई	ओ. टी. पी.	वैद्यों के लिए सी. एम. ई. (6 दिन)		
1.	दिल्ली	2+0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1(2 दिन एआई. एन.एन.)	-		9.00
2.	गुजरात	1+1			1	-	-	-	-	-	-		-	2 CME (चिकित्सा–सहायक+ नर्स)	16.00
3.	केरल	0+1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	7.00
4.	कर्नाटक	0+2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		-		14.00
5.	मध्य प्रदेश	2+0	-		-	-	1	1 (2 दिन)	-	-	1	-	-	-	15.00
6.	महाराष्ट्र	0+2		-	1	1 (2 दिन)	-	-	-	-	1	1	-	-	22.00
7.	उत्तराखण्ड	1+2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-		21.00
8.	तमिलनाडू	1+1		-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	21.00
9.	उत्तर प्रदेश	4+0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम)	48.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0+1											1		7.00
	कुल	11+10 (21)	6	3	5	1	1	1	2	1	2	3	1	3	180.00
			कुल कार्यक्रम = 29												

5.10 बजट और व्यय :

वर्ष 2015–16 के दौरान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्यापीठ को **योजना (प्लॉन)** के तहत् सहायता अनुदान के रूप में ₹ **8,00,00,000/–** (रुपये आठ करोड़ मात्र) की राशि उपलब्ध कराई थी, इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 के आन्तरिक सृजन के रूप में उपलब्ध ₹ 1,90,21,126/– और ₹ 21,39,339/– का उपयोग करने की भी अनुमति प्रदान की थी, जिससे कुल ₹ 10,11,60,465/– (रुपये दस करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार चार सौ पैंसठ मात्र) की राशि विद्यापीठ के **योजना** क्रिया–कलापों के लिए उपलब्ध हो गई। आयुष मंत्रालय ने **गैर–योजना (वेतन)** के अन्तर्गत सहायता अनुदान के रूप में ₹ 45,93,146/– (रुपये पैंतालीस लाख तिरानवे हजार एक सौ छियालीस मात्र) भी उपलब्ध कराये और पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष के रूप में बचे ₹ 5,06, 854/– (रुपये पांच लाख छः हजार आठ सौ चौवन मात्र) को उपयोग करने की अनुमति दी। वर्ष के दौरान उपचित आन्तरिक सृजन से ₹ 1,50,000/– की राशि अन्तरित की गई थी। वर्ष के दौरान इसकी अपनी प्राप्तियां ₹ 23,374/– की थीं, जिससे **गैर–योजना (वेतन)** के तहत् कुल ₹ 52,73,374/– (रुपये बावन लाख तिहत्तर हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) उपलब्ध हो गए तथा **गैर–योजना (सामान्य)** के तहत् सहायता अनुदान के रूप में ₹ 10,27,654/– (रुपये दस लाख सत्ताईस हजार छः सौ चौवन मात्र) की राशि प्राप्त की गई थी और पिछले वर्ष खर्च न किये गए शेष के रूप में बचे ₹ 3,22,346/– (रुपये तीन लाख बाईस हजार तीन सौ छियालीस मात्र) का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। ₹ 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) की राशि वर्ष के दौरान उपचित आन्तरिक सृजन से अन्तरित की गई थी, इस प्रकार **गैर–योजना (सामान्य)** के तहत् ₹ 14,00,000/– (रुपये चौदह लाख मात्र) की राशि उपलब्ध हुई।

योजना के तहत् ₹ 10,11,60,465/– में से ₹ 7,02,58,202/– (रुपये सात करोड़ दो लाख अट्ठावन हजार दो सौ दो मात्र) खर्च कर दिये गए थे और ₹ 3,09,02,263/– (रुपये तीन करोड़ नौ लाख दो हजार दो सौ तिरसठ मात्र) राशि शेष रह गई थी। जहां तक **गैर–योजना** का संबंध है ₹ 52,73,374/– में से ₹ 52,40,251/– (रुपये बावन लाख चालीस हजार दो सौ इकावन मात्र) की राशि खर्च कर ली गई जिससे **गैर–योजना (वेतन)** के तहत् ₹ 33,123/– (रुपये तैंतीस हजार एक सौ तेईस मात्र) रुपये की राशि शेष रह गई तथा ₹ 14,00,000/– में से ₹ 13,83,997/– (रुपये तेरह लाख तिरासी हजार नौ सौ सत्तानवे मात्र) की राशि खर्च कर ली गई, जिससे वर्ष 2015–16 के अन्त में **गैर–योजना (सामान्य)** के तहत् ₹ 16,003/– (रुपये सोलह हजार तीन मात्र) शेष रह गए। **योजना** के तहत् ₹ 3,09,02,263/– **गैर–योजना (वेतन)** के तहत् ₹ 33,123/– एवं **गैर–योजना (सामान्य)** के तहत् ₹ 16,003/– की अप्रयुक्त अर्थात् खर्च न की गई धनराशि को वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान देय सहायता अनुदान के लिए समायोजित किया जायेगा।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम–1971 की धारा 20 (1) के अधीन, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (विद्यापीठ) के 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार संलग्न की गई उस वर्ष की तिथि को समाप्त किए गए तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा कर ली है। यह लेखापरीक्षा 2016–17 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। यह वित्तीय विवरण राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है, जो की हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित है ।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में वर्गीकरण, अभिपुष्टि संबंधित सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटीकरण करने वाले मानकों इत्यादि के संबंध में लेखा–अभिक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां मौजूद हैं। कानून, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए अलग से सूचित की जाती हैं।

3- हमने, अपनी लेखापरीक्षा को भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन इस तरह से करें, कि यह उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय विवरण मूर्त (वर्णीकृत) गलत विवरणों से स्वतंत्र हैं। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई धनराशि एवं प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच एक परीक्षण के आधार पर करना शामिल होता है। एक लेखा–परीक्षा में प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों एवं किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का आंकलन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हम विश्वास करते है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है ।

4- अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह भी सूचित करते हैं कि :–

(i) हमने वह सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए थे, जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में शामिल किए गये तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखे एवं प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किये गए हैं।

(iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा लेखा–बहियों तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा ऐसी बहियों का जांच करने से पता चलता है ।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :–

(क) तुलनपत्र

(क.1) अचल परिसम्पत्तियां–रु0 10.39 लाख मात्र।

(क.1.1) लेखा की अनुसूची 24 के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की गई थी। इसके विपरीत पुस्तकालय की पुस्तकों के मूल्यह्रास के लिए 60% की निर्धारित दर के बजाए 15% की दर का प्रावधान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप खर्च कम बताया गया और अधिक बताई गई परिसम्पत्तियां रु0 0.48 लाख मात्र है।

(ख) सहायता अनुदान :

वर्ष 2015–16 के दौरान विद्यापीठ द्वारा प्राप्त 856.21 लाख रुपये (योजना अनुदानः रु0 800.00 लाख, गैर–योजना सामान्यः रु0 10.28 लाख और गैर–योजना–वेतनः रु0 45.93 लाख) के सहायता अनुदान में से मार्च, 2016 में रु0 234.73 लाख (योजना) प्राप्त किये गए थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 के लिए रु0 198.51 लाख (योजना रु0 190.22 लाख, गैर–योजना सामान्यः रु0 3.23 लाख और गैर–योजना–वेतनः रु0 05.06 लाख) का खर्च न किया गया अनुदान था। वर्ष के दौरान इसकी स्वयं की प्राप्तियाँ रु0 23.62 लाख (योजनाः रु0 21.39 लाख, गैर–योजना सामान्यः रु0 0.50 लाख और गैर–योजना वेतनः रु0 1.73 लाख) थीं। विद्यापीठ ने रु0 768.83 लाख (योजनाः रु0 702.59 लाख, गैर–योजना सामान्यः रु0 13.84 लाख और गैर–योजना वेतनः रु0 52.40 लाख) का उपयोग किया और मार्च, 2016 के अन्त तक रु0 309.51 लाख (योजना : रु0 190.22 लाख और गैर–योजना वेतनः रु0 5.06 लाख और गैर–योजना सामान्यः रु0 3.23 लाख) (योजनाः रु0 309.02 लाख, योजना सामान्यः रु0 0.16 लाख और गैर–योजना वेतनः रु0 0.33 लाख) बिना खर्च हुए शेष रह गए।

V. पूर्ववर्ती परिच्छेदों में हमारे निरीक्षणों के अध्यधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल किये गए तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

vi. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबन्ध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सही और सत्य स्थिति दर्शाते हैं ।

(क) जहां तक इसका सम्बन्ध 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के कार्यों से सम्बन्धित तुलनपत्र से है: और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आय एवं व्यय से है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/-

महा निदेशक लेखा-परीक्षा केन्द्रीय व्यय

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30-05-2016

अनुबंध

(1) **आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :**

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की आन्तरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012–13 से नहीं की गई थी।

(2) **आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :**

आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा आपत्तियों के लिए प्रबंधकों का उत्तर प्रभावी नहीं था, क्योंकि वर्ष 2009–12 की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के 8 पैराग्राफ और वर्ष 2001–2002 से 2005–06 तक की अवधि के लिए बाह्य लेखा परीक्षा के 12 पैराग्राफ 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार बकाया थे। परिसम्पति रजिस्टर एवं प्रकाशन स्टॉक रजिस्टर जी.एफ.आर. के अनुसार समुचित प्रपत्रों में नहीं रखे गए थे।

(3) **अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली :**

वर्ष 2015–16 की अवधि के अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

(4) **स्टॉकों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली :**

पुस्तकों एवं प्रकाशनों, लेखन सामग्री और उपभोज्य वस्तुओं का वर्ष 2015–16 तक प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

(5) **सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :**

दिनांक 31–3–2016 की स्थिति के अनुसार कोई भी सांविधिक देय छः माह से अधिक समय से बकाया नहीं था।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

धनराशि (रु)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र / पूँजीनिधि एवं देयताएं			
समग्र / पूँजीनिधि	1	41,08,451.00	39,98,484.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	2	13,64,996.00	22,92,093.00
उद्दिष्ट / अक्षय निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर–जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	7	3,94,56,307.00	2,60,48,918.00
कुल		**4,49,29,754.00**	**3,23,39,495.00**
परिसम्पत्तियाँ			
अचल परिसम्पतियाँ	8	10,39,429.00	11,08,043.00
उद्दिष्ट / अक्षय निधि से निवेश	9	-	-
निवेश–अन्य	10	71,48,851.00	60,19,751.00
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	3,67,41,474.00	2,52,11,701.00
विविध–व्यय		-	-
(बट्टे खाते नहीं डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)			
कुल		**4,49,29,754.00**	**3,23,39,495.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक दायित्व व लेखा सम्बन्धी टिप्पणियाँ	25		

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
ह0 / –
डॉ0 संजीव रस्तोगी
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

धनराशि (रु0)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
सेवाओं / बिक्री से आय	12	-	-
अनुदान / आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	13	7,67,72,483.00	1,94,98,639.00
शुल्क / अंशदान	14	5,83,000.00	4,40,750.00
निवेश से आय (उद्दिष्ट / अक्षय निधि पर निवेश करने से आय। निधियों का निधियों में अन्तरण)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से होने वाली आय	16	4,43,904.00	4,99,490.00
अर्जित ब्याज	17	13,06,034.00	10,95,091.00
अन्य आय	18	29,775.00	55,324.00
बढ़ाएं / (घटाएं) तैयार माल के भण्डार और चालू कार्य में	19	-2,94,646.00	8,06,505.00
कुल (क)		7,88,40,550.00	2,23,95,799.00
घटाएः गैर–योजना वेतन एवं गैर–योजना सामान्य अनुदान में अन्तरित आन्तरिक सृजित राशि		2,00,000.00	-
कुल (क) ब्याज आय के अन्तरण के बाद		7,86,40,550.00	2,23,95,799.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	6,57,85,170.00	1,12,67,665.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	1,08,08,732.00	82,30,974.00
अनुदान / आर्थिक सहायता पर खर्च	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त में शुद्ध जोड़ अनुसूची 8 के तदनुरूप)		1,78,581.00	1,64,020.00
कुल (ख)		67,72,483.00	1,96,62,659.00
खर्च की तुलना में आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)		18,68,067.00	27,33,140.00
विशेष आरक्षित निधि में अन्तरित (प्रत्येक विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि में / उससे अन्तरण			
अधिशेष / (घाटे) से बचे शेष को समग्र / पूँजीनिधि में अग्रेनीत किया गया		18,68,067.00	27,33,140.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25		

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
ह0 / –
डॉ0 संजीव रस्तोगी
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–5–2016

तुलनपत्र के लिए अनुसूचियाँ :

धनराशि (रु0)

अनुसूची–1– समग्र / पूँजीनिधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	39,98,484.00		39,13,210.00	-
जोड़ें– समग्र / पूँजीनिधि के लिए अंशदान	1,09,967.00	41,08,451.00	85,274.00	39,98,484.00
जोड़ें / (घटाएं): आय एवं व्यय खाते से अन्तरित शुद्ध आय / (व्यय) का शेष			-	-
वर्ष के अन्त में शेष		**41,08,451.00**		**39,98,484.00**

अनुसूची–2 आरक्षित और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
सामान्य आरक्षित निधि (खर्च की तुलना में आय की अधिकता)				
पिछले खाते के अनुसार	22,92,093.00		8,77,352.00	
जोड़े–वर्ष के दौरान जोड़ा गया	18,68,067.00		27,33,140.00	
घटाएं–पिछली अवधि का समायोजन	-		24,215.00	
घटाएं– कटौती (पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष का आन्तरिक सृजन)	27,95,161.00	13,64,996.00	12,94,184.00	22,92,093.00
कुल		**13,64,996.00**		**22,92,093.00**

	नधि–वार ब्यौरा		योग	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची–3–निर्धारित / बन्दोबस्ती निधियाँ				
क) निधियों का प्रारम्भिक शेष	-		-	
ख) निधियों के लिए अतिरिक्त	-		-	
i) दान / अनुदान				
ii) निधि से किए गए निवेश से आय				
iii) अन्य परिवर्धन				
कुल (कख)		-		-

i) पूँजीगत व्यय	-		-	
– अचल परिसम्पत्ति				
– अन्य				
कुल				
ii) राजस्व व्यय	-		-	
–वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि				
–किराया				
–अन्य प्रशासनिक व्यय				
कुल				
कुल (ग)		-		-
वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार शुद्ध शेष (कख–ग)	-	-	-	-

टिप्पणियाँ

1. अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर संगत शीर्ष के अन्तर्गत प्रकटीकरण किए जायेंगे।

2. केन्द्रीय / राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत की निधि को पृथक निधि के रूप में दिखाया जाना है और उसे किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना है।

अनुसूची–4–प्रतिभूति सहित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
(ख) ब्याज उपार्जित एवं देय				
4. बैंक	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
–ब्याज उपार्जित एवं देय				
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
– ब्याज उपार्जित एवं देय				
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-		-	
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-		-	
7. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–5 प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
4. बैंक	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-		-	
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-		-	
7. सावधि जमा	-		-	
8. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–6 आस्थगित ऋण दायित्व	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) पूँजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसम्पत्तियों को दृष्टिबंधक रखकर रक्षित स्वीकृतियां	-		-	
(ख) अन्य	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–7 मौजूदा दायित्व एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) **मौजूदा दायित्व**				
1. सांविधिक दायित्व				
(क) भविष्य निधि में अंशदान				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	37,47,898.00		30,31,161.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	8,55,325.00		7,36,737.00	
घटाएं –वर्ष के दौरान आहरण	-	46,03,223.00	20,000.00	37,47,898.00
2. अन्य मौजूदा दायित्व				
– अप्रयुक्त अनुदान (योजना)	3,09,02,262.00		1,83,88,674.00	
– अप्रयुक्त अनुदान (गैर योजना–सामान्य)	16,003.00		3,22,346.00	
– अप्रयुक्त अनुदान (गैर योजना–वेतन)	33,123.00		5,06,854.00	
– समग्र निधियाँ (सेवानिवृत्ति)	36,35,734.00		30,75,145.00	
– बयाना धनराशि	8,000.00		8,000.00	
– देय टी.डी.एस.	1,24,688.00		-	
– अन्य प्रभार शीर्ष	1,33,274.00		-	
– देय दूरभाष व्यय	-	3,48,53,084.00	1.00	2,23,01,020.00
कुल (क)		**3,94,56,307.00**		**2,60,48,918.00**
(ख) प्रावधान	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. कराधान के लिए	-		-	
2. ग्रेच्युटी	-		-	
3. अधिवर्षिता / पेंशन	-		-	
4. संचित अवकाश भुगतान	-		-	
5. व्यापार वारंटियां / दावे	-		-	
6. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल (ख)		-		-
कुल (क – ख)		3,94,56,307.00		2,60,48,918.00

अनुसूची–9 निर्धारित/बन्दोबस्ती निधियाँ से किए गए

निवेश	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ में	-		-	
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ में	-		-	
3. शेयरों में	-		-	
4. डिबेंचरों एवं बाण्डों में	-		-	
5. सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में	-		-	
6. अन्य (विनिर्दिष्ट की जानी है)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–10 निवेश –अन्य	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सावधि जमा				
–अंशदायी भविष्य निधि	43,93,851.00		32,64,751.00	
–समग्र निधि (सेवानिवृत्ति)	27,55,000.00	71,48,851.00	27,55,000.00	60,19,751.00
कुल		**71,48,851.00**		**60,19,751.00**

अनुसूची–11 मौजूदा परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. मौजूदा परिसम्पत्तियाँ,				
1. माल सूचियाँ				
–आयुर्वेदिक पुस्तकों का प्रकाषन	10,76,267.00	10,76,267.00	13,70,913.00	13,70,913.00
2. हस्तगत नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट एव अग्रदाय सहित)				
– योजना	7,999.00		14,961.00	
–गैर योजना (सामान्य)	-	7,999.00	1,632.00	16,593.00

3. बैंक शेष				
– योजना	3,29,75,181.00		2,15,98,580.00	
–गैर योजना–(सामान्य)	15,039.00		3,19,750.00	
–गैर योजना–(वेतन)	84,787.00		5,80,179.00	
–अंशदायी भविष्य निधि	2,32,746.00		4,83,147.00	
–समग्र निधि	5,80,734.00	3,41,88,487.00	3,20,145.00	2,33,01,801.00
कुल (क)		**3,52,71,853.00**		**2,46,89,307.00**
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ				
1. नकद/अन्य प्रकार से वसूल किए जाने योग्य अग्रिम एवं अन्य धनराशियाँ				
–श्री एम.आर.गिरी से वसूली जाने वाली धनराशि	44,390.00		**44,390.00**	
–मोटर साइकिल अग्रिम	44,001.00		**41,725.00**	
–मंत्रालय से वसूली जाने वाली धनराशि	-		**4,27,829.00**	
–वसूली जाने योग्य शिक्षावृत्ति	1,24,688.00		-	
–एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम	10,21,217.00		-	
–आकस्मिक अग्रिम	2,33,000.00	**14,67,296.00**	**8,000.00**	**5,21,944.00**
–त्योहार अग्रिम (गैर–योजना)				
–पिछले तुलनपत्र के अनुसार	450.00		**2,850.00**	
–जोड़े–वर्ष के दौरान दिया गया	3,750.00		-	
–घटाएं–वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि	1,875.00	**2,325.00**	**2,400.00**	**450.00**
कुल (ख)		**14,69,621.00**		**5,22,394.00**
कुल (क . ख)		**3,67,41,474.00**		**2,52,11,701.00**

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
ह0 /–
डॉ0 संजीव रस्तोगी
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–5–2016

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

धनराशि (रु0)

अनुसूची–12 बिक्री से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
बिक्री	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–13 अनुदान/आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(अटल अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)				-
1. केन्द्रीय सरकार–				
योजना				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	1,83,88,674.50		1,65,60,386.00	
जोड़े–पिछले वर्ष का आन्तरिक सृजन	6,32,451.00		12,94,184.00	
सी.ए.जी. के अनुसार अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	1,90,21,125.50		1,78,54,570.00	
जोड़े–चालू वर्ष का आन्तरिक सृजन	21,39,339.00		-	
जोड़े–सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	8,00,00,000.00		1,56,83,614.00	
कुल सहायता अनुदान	10,11,60,464.50		3,35,38,184.00	
घटाएं –पूँजीकृत अनुदान	1,09,967.00		85,274.00	
	10,10,50,497.50		3,34,52,910.00	
घटाएं –अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया	3,09,02,262.50	7,01,48,235.00	1,83,88,674.00	1,50,64,236.00
गैर योजना–वेतन				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे ली गई	5,06,854.00		13,91,377.00	
जोड़े–चालू वर्ष का आन्तरिक सृजन	23,374.00			
सरकार से प्राप्त अनुदान	45,93,146.00		28,08,623.00	
चालू वर्ष के आन्तरिक सृजन से अन्तरित	1,50,000.00		-	
कुल सहायता अनुदान	52,73,374.00		42,00,000.00	
घटाएं –अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया	33,123.00	52,40,251.00	5,06,854.00	36,93,146.00

गैर योजना–सामान्य				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	3,22,346.00		7,93,603.00	
सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	10,27,654.00		2,70,000.00	
चालू वर्ष के आन्तरिक सृजन से अन्तरित	50,000.00		-	
कुल सहायता अनुदान	14,00,000.00		10,63,603.00	
घटाएं –अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	16,003.00	13,83,997.00	3,22,346.00	7,41,257.00
कुल		**7,67,72,483.00**		**1,94,98,639.00**

अनुसूची–14–शुल्क/अंशदान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आवेदन शुल्क (पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से प्राप्त)	5,83,000.00	5,83,000.00	4,40,750.00	4,40,750.00
कुल		**5,83,000.00**		**4,40,750.00**

अनुसूची–15 निवेश से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(उद्दिष्ट/अक्षय निधि के निवेश से आय का निधि में अन्तरण)				
1. ब्याज	-		-	
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बाण्डों/ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर				
2. लाभांश				
क) शेयरों पर				
ख) म्युचुयल फण्ड सिक्युरिटीज पर				
3. किराया	.		.	
4. अन्य (उल्लेख करें)	.		.	
कुल		-		-

अनुसूची–16–रॉयल्टी, प्रकाशन से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. रॉयल्टी से आय	-		-	
2. प्रकाशन से आय	4,43,904.00		4,99,490.00	
3. अन्य (उल्लेख करें)	–	4,43,904.00	-	4,99,490.00
कुल		4,43,904.00		4,99,490.00

अनुसूची–17–अर्जित ब्याज	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बजट खातों एवं सावधि जमाओं पर :				
(क).अनुसूचित बैंकों में–भारतीय स्टेट बैंक	11,89,205.00		10,42,177.00	
(ख). सावधि जमाओं पर ब्याज	23,374.00	12,12,579.00	-	10,42,177.00
2. अन्य प्राप्तियों पर				
(क) शिक्षावृत्ति की वसूली	91,179.00		50,638.00	
(ख) मोटर साइकिल अग्रिम	2,276.00	93,455.00	2,276.00	52,914.00
कुल		**13,06,034.00**		**10,95,091.00**

अनुसूची–18–अन्य आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) पंजीयन शुल्क	6,000.00		3,000.00	
(ख) पुस्तकों की बिक्री पर डाकव्यय	19,164.00		9,527.00	
(ग) वेतन / शिक्षावृत्ति की वसूली	3,588.00		42,787.00	
(घ) विविध आय	1,023.00	29,775.00	10.00	55,324.00
कुल		**29,775.00**		**55,324.00**

अनुसूची–19–तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) प्रकाशित आयुर्वेदिक पुस्तकों के भण्डार का समापन।	10,76,267.00		13,70,913.00	
(ख) घटाएं– प्रकाशित आयुर्वेदिक पुस्तकों के भण्डार का प्रारम्भ।	13,70,913.00	-2,94,646.00	5,64,408.00	8,06,505.00
शुद्ध वृद्धि (कमी) (क–ख)		**-2,94,646.00**		**8,06,505.00**

अनुसूची–20–स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
योजना				
(क) मजदूरी	13,89,245.00		13,63,435.00	
(ख) वजीफा / शिक्षावृत्ति				
– शिष्यों को शिक्षावृत्ति	3,84,32,831.00		34,64,141.00	
(ग) व्यावसायिक सेवाएं				
–गुरुजनों को मानदेय	2,05,35,227.00		25,85,659.00	
–लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक / व्यावसायिक शुल्क	1,87,616.00	6,05,44,919.00	1,61,284.00	75,74,519.00
गैर–योजना वेतन				
(क) वेतन				
– वेतन व्यय	46,79,662.00		33,59,579.00	
– भत्ते एवं बोनस	-		13,816.00	
– कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ	5,60,589.00	52,40,251.00	3,19,751.00	36,93,146.00
कुल		**6,57,85,170.00**		**1,12,67,665.00**

अनुसूची–21: अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
योजना				
(क) कार्यालय व्यय				
– बैंक प्रभार	2,719.25		1,125.00	
– विविध व्यय	1,62,850.00		1,60,032.00	
– गुरुजनों को आकस्मिक व्यय का भुगतान	95,885.00		-	
– मरम्मत और रखरखाव	59,657.00		64,448.00	
– समाचारपत्र एवं पत्र–पत्रिकाएं	12,646.00		9,115.00	
(ख) प्रकाशन				
– स्वीकृत छूट	1,21,804.00		1,23,168.00	
– मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2,98,777.00		14,76,388.00	
(ग) घरेलू यात्रा				
– यात्रा एवं वाहन व्यय	15,45,154.00		10,96,677.00	
(घ) अन्य प्रशासनिक व्यय				
– शोध प्रबन्ध एवं परीक्षा पारिश्रमिक / बैठक–प्रभार / मानदेय / बैठक शुल्क	1,73,700.00		78,400.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम– नई दिल्ली	-		2,90,829.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम– भोपाल	-		1,77,128.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम– पुरी	-		2,85,437.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम– लखनऊ	5,31,861.00		2,86,430.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम– गोवा	-		4,56,423.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम– अहमदाबाद	-		2,91,928.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम– नासिक	-		3,11,806.00	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम–बैंगलोर	4,34,106.50		-	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम–जयपुर	2,93,418.50		-	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम–पुणे	5,90,845.25		-	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम–वाराणसी	4,59,744.50		-	
– प्रशिक्षण कार्यक्रम–कोलकाता	5,20,415.00		-	
– सम्भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम	7,08,002.25		-	
–दीक्षान्त समारोह / सम्मेलन खर्च	18,45,535.00		4,68,394.00	

(च) विज्ञापन एवं प्रचार				
–विज्ञापन व्यय	15,67,615.00	94,24,735.00	19,11,989.00	74,89,717.00
गैर योजना–सामान्य				
क) बिजली (इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर)	2,33,120.00		2,12,090.00	
ख) जल प्रभार	68,186.00		94,963.00	
ग) डाक, दूरभाष एव संचार के प्रभार	1,47,645.00		1,18,952.00	
घ) किराया, दर एवं कर	9,05,764.00		3,15,252.00	
ङ) चिकित्सा उपचार	29,282.00	13,83,997.00	-	7,41,257.00
कुल		**1,08,08,732.00**		**82,30,974.00**

अनुसूची–22: अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) संस्था / संगठनों को दिया गया अनुदान	-		-	
ख) संस्था / संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची–23: ब्याज	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) नियत ऋणों पर	-		-	
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार को सम्मिलित करते हुए)	-		-	
कुल		-		-

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

ह0 /–

डॉ0 संजीव रस्तोगी

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30–5–2016

अनुसूची–8 : अचल सम्पत्ति वित्तीय वर्ष –2015–16

विवरण	मूल्यह्रास दर	सकल सम्पत्तियां				विवरण				शुद्ध कुल सम्पत्तियाँ	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अन्त तक कुल	चालू वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार	पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार
क) अचल परिसम्पति											
1. संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	15%	87,303.08	14,800.00		1,02,103.08	26,243.68	11,378.91		37,622.59	**64,480.50**	61,059.41
2. फर्नीचर एवं फिक्सर	10%	7,09,396.25	36,378.00		7,45,774.25	2,79,216.83	46,441.99		3,25,658.82	**4,20,115.43**	4,30,179.42
3. कार्यालय उपस्कर	15%	8,88,954.46	19,150.00		9,08,104.46	4,93,321.11	60,781.25		5,54,102.36	**3,54,002.10**	3,95,633.35
4. कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	60%	3,49,919.00	-		3,49,919.00	2,97,539.30	31,428.45		3,28,967.75	**20,952.30**	52,380.75
5. पुस्तकालय की पुस्तकें	15%	3,54,469.09	23,140.00		3,77,609.09	2,61,704.16	15,909.21		2,77,613.37	**99,995.72**	92,764.93
8. वायु–शीतलन उपकरण	15%	1,71,341.56	-		1,71,341.56	95,316.42	11,403.77		1,06,720.19	**64,621.37**	76,025.14
7. विद्युत उपकरण	15%	-	16,499.00		16,499.00	-	1,237.43		1,237.43	**15,261.57**	-
चालू वर्ष का योग		**25,61,384.32**	**1,09,967.00**	0.00	**26,71,350.44**	**14,53,341.51**	**1,78,581.00**		**16,31,922.52**	**10,39,429.00**	**11,08,043.00**
पिछला वर्ष		**25,44,790.32**	**85,274.00**	68,680.00	**25,61,384.32**	**13,18,986.50**	**1,64,020.00**		**14,53,341.51**	**11,08,043.00**	**12,25,804.00**
(ख) पूँजीगत चालू कार्य											
कुल		**25,61,384.32**	**1,09,967.00**		**26,71,350.44**	**14,53,341.51**	**1,78,581.00**		**16,31,922.52**	**10,39,429.00**	**11,08,043.00**

अतिरिक्त अचल परिसम्पत्ति का विवरण

	दिनांक	धनराशि (रु)
कार्यालय उपस्कर	26.11.2015	19150.00
पुस्तकालय की पुस्तकें	16.09.2015	2663.00
	17.09.2015	790.00
	07.12.2015	15467.00
	22.01.2016	4220.00
संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	17.09.2015	14800.00
विद्युत उपकरण	21.01.2016	16499.00
फर्नीचर एवं फिक्सर	24.06.2015	32103.00
	22.01.2016	4275.00

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे

धनराशि (रु)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारम्भिक शेष			**1.व्यय**		
भारतीय स्टेट बैंक –योजना	2,15,98,580.00	1,91,87,610.00	क) स्थापना व्यय (अनुसूची–20)	6,57,85,170.00	1,12,67,665.00
भारतीय स्टेट बैंक –गैरयोजना	5,80,179.00	14,19,515.00	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21)	1,08,08,732.00	82,30,974.00
भारतीय स्टेट बैंक –सामान्य	3,19,750.00	7,81,668.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि से किया गया भुगतान**	-	-
भारतीय स्टेट बैंक में समग्र निधि	3,20,145.00	28,84,758.00	**III. निवेश एवं जमाएं**		
हस्तगत नकद –योजना	14,961.00	4,365.00	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि में से	-	27,55,000.00
हस्तगत नकद –गैरयोजना	1,632.00	9,371.00	ख) स्वयं की निधियाँ में से	-	-
II. प्राप्त अनुदान			**IV. अचल सम्पत्ति/ पूँजीगत प्रगति पर व्यय**		
आयुष मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			क) अचल सम्पत्ति का क्रय	1,09,967.00	70,474.00
क) योजना	8,00,00,000.00	1,56,83,614.00	ख) पूँजीगत प्रगति पर व्यय	-	-
ख) गैरयोजना			**V. अधिशेष धनराशि/ ऋण की वापसी**		
– सामान्य	10,27,654.00	2,70,000.00	क) भारत सरकार को	-	-
– वेतन	45,93,146.00	28,08,623.00	ख) राज्य सरकार को	-	-
III. निवेशों से आय			ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को	-	-
क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि	-	-	**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**	-	-
ख) स्वयं की निधियाँ	-	-	**VII. अन्य भुगतान**		
IV. प्राप्त ब्याज			क) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	14,39,428.00	3,25,316.00
क) बचत खाते से प्राप्त ब्याज	11,89,205.00	10,42,177.00	ख) सी.एम.ई. से प्राप्त की जाने वाली धनराशि	14,16,726.00	1,61,930.00
क) शिक्षावृत्ति वसूली से प्राप्त ब्याज	91,179.00	50,638.00	ग) ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण	-	1,29,364.00
			घ) वसूला जाने वाला दूरभाष व्यय	-	2,253.00

V. अन्य आय			ड) बयाना राशि	13,700.00	19,670.00
क) पुस्तकों की बिक्री पर डाकव्यय	19,164.00	9,527.00	छ) त्योहार अग्रिम	3,750.00	-
ख) वेतन/शिक्षावृत्ति की वसूली	3,588.00	42,787.00	**अन्तिम शेष**		
ग) विविध आय	1,022.00	10.00			
घ) आवेदन शुल्क	5,83,000.00	4,40,750.00	भारतीय स्टेट बैंक –योजना	3,29,75,181.00	2,15,98,580.00
ङ) पुस्तकों की बिक्री	4,43,904.00	4,99,490.00	भारतीय स्टेट बैंक –समग्रनिधि	8,80,734.00	3,20,145.00
च) पंजीकरण शुल्क	6,000.00	3,000.00	भारतीय स्टेट बैंक गैरयोजना–वेतन	84,787.00	5,80,179.00
VI. उधार ली गई धनराशि			भारतीय स्टेट बैंक योजना–सामान्य	15,039.00	3,19,750.00
क) बयाना राशि	13,700.00	8,670.00	हस्तगत नकद– योजना	7,099.00	14,961.00
ख) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	1,93,211.00	3,25,316.00	हस्तगत नकद– गैरयोजना	-	1,632.00
ग) त्योहार अग्रिम	1,875.00	2,400.00			
घ) समग्र धनराशि (सेवानिवृत्ति)	5,60,589.00	3,19,751.00			
ङ.) वसूला गया दूरभाष व्यय	-	3,853.00			
च.) अन्य प्रभार शीर्ष–सीएमई	15,50,000.00	-			
छ.) मंत्रालय से प्राप्त धनराशि (सी.एम.ई.)	4,27,829.00	-			
कुल	**11,35,40,313.00**	**4,57,97,893.00**	**कुल**	**11,35,40,313.00**	**4,57,97,893.00**

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार का तुलनपत्र

धनराशि (रु)

दायित्व	धनराशि		परिसम्पत्तियाँ	धनराशि	
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान (कर्मचारियों का)			**बैंक में शेष**		
पिछले वर्ष के अनुसार	22,80,435.00		सावधि जमा पर		43,93,851.00
जोड़े–वर्ष के दौरान	3,90,000.00		बचत खाते पर		2,32,746.00
घटाएं–निकासियाँ	-				
जोड़े–कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	2,17,017.00	28,87,452.00			
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान (नियोक्ता का)					
पिछले वर्ष के अनुसार	14,67,463.00				
जोड़े–वर्ष के दौरान	1,20,640.00				
घटाएं–निकासियाँ	-				
जोड़े–नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज	1,27,668.00	17,15,771.00			
व्यय से आय की अधिकता		23,374.00			
कुल		**46,26,597.00**	**कुल**		**46,26,597.00**

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय के लेखे

व्यय	धनराशि		आय	धनराशि	
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	2,17,017.00		बैंक से ब्याज		13,392.00
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	1,27,668.00	3,44,685.00	सावधि जमा पर ब्याज		4,75,307.00
नियोक्ता का योगदान		1,20,640.00			
व्यय से आय की अधिकता		23,374.00			
कुल		**4,88,699.00**	**कुल**		**4,88,699.00**

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे

प्राप्तियाँ		धनराशि	भुगतान		भुगतान
प्रारम्भिक शेष					
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	22,80,435.00				
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान	14,67,463.00	37,47,898.00			
कर्मचारियों का अंशदान/वापसी	3,90,000.00		**बैंक में शेष**		
नियोक्ता का योगदान	1,20,640.00	5,10,640.00			
			कर्मचारियों का अंशदान	28,87,452.00	
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	2,17,017.00		अंशदायी भविष्य निधि में योगदान	17,15,771.00	46,03,223.00
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	1,27,668.00	3,44,685.00			
कुल		**46,03,223.00**	**कुल**		**46,03,223.00**

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
ह0 /–
डॉ0 संजीब रस्तोगी
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–5–2016

अनुसूची –24 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जहाँ कहीं भी अन्यथा कहा गया और लेखा प्रणाली की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. माल–सूची मूल्यांकन :

मालसूची बहियों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया गया।

3. अचल परिसम्पत्तियाँ

I. अचल परिसम्पत्तियाँ, अधिग्रहण की लागत के अनुसार बताई गई हैं, जिनमें अधिग्रहण से संबंधित करों, भाड़े और प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया गया है।

II. गैर–मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त अचल परिसम्पत्तियों को सामान्य निधि के लिए तत्सम्बन्धी ऋण द्वारा बताए गये मूल्य पर पूँजीकृत किया गया है।

4. सरकारी अनुदान

अचल परिसम्पत्तियाँ की खरीद के संबंध में सरकारी अनुदान पूँजीकृत अनुदान के रूप में माने गए हैं।

5. राजस्व मान्यता

I. पुस्तकों की बिक्री में व्यापार संबंधी कटौती एवं छूट शामिल है।

II. सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) पर प्राप्त ब्याज को लेखा बहियों में समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि इनपर परिपक्वता पर विचार किया जाता है।

6. मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की गई हैं।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :30.5.2016

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
ह0/–
डॉ0 संजीव रस्तोगी
निदेशक

अनुसूची –25 : आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ

1. **चालू दायित्व**

   योजना एवं गैर–योजना व्यय के अन्तर्गत अप्रयुक्त अनुदान को चालू दायित्व के रूप में दिखाया गया है।

2. **चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि**

   चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि का व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में वसूली संबंधी एक मूल्य होता है, जो कम से कम तुलनपत्र में दर्शायी गई कुल धनराशि के बराबर होता है।

3. जहाँ–कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के तत्सम्बन्धी आंकड़े पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गये हैं।

4. चालू वर्ष के आंकड़ों को रुपयों में पूर्णांकित किया गया है और अनुरूपता बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को 31–03–2015 तक लिया गया है।

5. अनुसूची 1 से 25 संलग्न कर दिये हैं और ये 31–03–2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखे का एक अभिन्न अंग है।

6. वित्त वर्ष 2011–12 से अचल परिसम्पत्तियों की पहचान की विधि हासिल मूल्य (डब्लू.डी.वी.) से बदल कर सकल ब्लॉक (कुल परिसम्पत्तियाँ) की गई है।

7. मोटर साइकिल अग्रिम पर चालू वर्ष के दौरान 9: वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज लगाया गया है।

8. चालू परिसम्पत्तियों के शीर्ष के तहत् रु0 14,69,621/–के ऋण एवं अग्रिम की अभी वसूली होनी है।

9. ले.प.के.व्यय (सी.ए.जी) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तिम पृ.ले.प.प्र.(एस.ए.आर) के अनुसार दिनांक 31–3–2015 को तुलनपत्र में सूचित किये गए अनुसार रु0 183.89 लाख

पर अप्रयुक्त योजनागत अनुदान रु0 190.22 लाख हैं। अतः पिछले वर्ष के आन्तरिक सृजन के रूप में रु0 632451/– के समायोजन पर योजना के तहत् अनुसूची संख्या–13 में विचार किया गया है।

10. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अन्तिम एस.ए.आर. में ले.प.के.व्यय (सी.ए.जी) के द्वारा दिये गए दिशा–निर्देशों के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान की गणना की गई है।

11. कर्मचारियों के अंशदान एवं नियोक्ता के अंशदान में योगदान के लिए अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ) पर नियत जमा ब्याज एवं बचत बैंक ब्याज का उपयोग करने के बाद नियत जमा पर अर्जित रु0 23374/–के ब्याज की अतिरिक्त उपलब्धता को अनुसूची संख्या–13 में गैर–योजना वेतन के चालू वर्ष के आन्तरिक सृजन के भाग के रूप में समझा गया ।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30.05.2016

कृते–राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
ह0/–
डॉ0 संजीव रस्तोगी
निदेशक

Sh. Shripad Yesso Naik, Minister of State (Independent Charge) for AYUSH is addressing the gathering in the Two day National Seminar on Basti Karma held on 14th – 15th March, 2016 in Delhi. (From left to right) Vd. Sh. S.K.Mishra, Member of G.B., Dr. Sanjeev Rastogi, Director of RAV, Sh. Anurag Srivastava, Joint Secretary, M/o AYUSH, 'Padmabhusan' Vd. Devinder Triguna, President, G.B., Dr. Rajesh Kotecha, Vice Chancellor, GAU, Dr. Manoj Nesari, Advisor (Ay.) are seen.

A demonstration of Two day training programme on "Practical Demonstration of Samhita (Text) – based clinical methods of Examination" held on 12th – 13th August, 2015 at B.H.U. Varanasi.

Sh. Niranjan Sanyal, Secretary, Ministry of AYUSH is addressing in the Two day training programme on "Practical Demonstration of Samhita (Text) – based clinical methods of Examination" held on 12th – 13th August, 2015 at B.H.U. Varanasi.

The chief Guest Sri. U.T. Khader, Hon'ble Minister of Health & Family Welfare, Government of Karnataka is inaugurating the Two day Training Programme on "Practical Demonstration of Samhita (Text) – based clinical methods of examination" held on 29th – 30th July, 2015 at Sri Sri College of Ayurvedic Science and Research Hospital, Bengaluru.

CONTENTS

S. No.	Subject	Page No.
	Preface	65
1.	**Introduction**	67
2.	**Objectives of the Vidyapeeth**	67
3.	**Committees**	
	(i) Governing Body	68
	(ii) Standing Finance Committee	71
4.	**Functions of the Vidyapeeth**	
	(i) Guru Shishya Parampara	72-77
	(ii) Convocation	77
	(iii) Award of Fellowships	77
	(iv) Conferences/Seminars	77
	(v) Interactive Workshops	78
	(vi) Samhita based training programme	78
	(vii) Training programme on Research Methodology, Manuscript writing and Career opportunities.	79
	(viii) Publications	79
5.	**Technical Report** (Activities conducted during the year 2015-16)	80
	(i) Meetings	80-83
	(ii) Courses of Guru Shishya Parampara	83-91
	(iii) Convocation function	91-94
	(iv) Annual Seminars	94
	(v) Interactive Workshops	95
	(vi) Samhita based training programme	95
	(vii) Training programme on Research Methodology, Manuscript writing and Career opportunities.	96
	(viii) Publications/Sale of Books	96
	(ix) Other activities	97
6.	**Budget & Expenditure**	99

7.	**Separate Audit Report**	100
8.	**Accounts**	101
	(i) Balance Sheet as on 31-3-2016	103
	(ii) Income & Expenditure Account as on 31-3-2016	104
	(iii) Schedules forming part of Balance Sheet as on 31-3-2016	105-116
	(iv) Receipt & payments Account as on 31-3-2016	117-118
	(v) Contributory Provident Fund- Receipts & Payments Accounts, Income & Expenditure Accounts and Balance Sheet as on 31-3-2016	119-120
	(vi) Significant Accounting Policies	121
	(vii) Contingent Liabilities and Notes on Accounts	122

Preface

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), an autonomous organization under Ministry of AYUSH, Govt. of India was constituted in 1988 with an objective of revival of classical practical and textual knowledge of Ayurveda through ancient Gurukula method of learning. The targeted learners here are the fresh graduates and post graduates of Ayurveda still desirous of making themselves more proficient in classical Ayurvedic practices and principles. MRAV (Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) and CRAV (Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) are two such courses which have been started by RAV to fulfill the objectives of making Ayurvedic students more versed with classical practical and textual knowledge. So far about 680 and 71 students have completed their CRAV and MRAV respectively. In year 2014-15 about 108 students have completed their CRAV course and became eligible to get a certification of CRAV. In year 2015-16, about 113 students have been enrolled for CRAV course and are receiving the practical training in various disciplines of Ayurveda under the guidance of RAV empanelled scholars of Ayurveda throughout the country.

In view of underutilization of Ayurvedic classical methods of patient examination and subsequent treatment, RAV after perceiving the gap, has started a programme to train Ayurvedic teachers in classical diseases diagnostic methods. The focus here is on young faculties belonging to the clinical branches in order to make them proficient in such methods for its subsequent use in their clinical practice. So far, total 12 such diagnostic training programmes have been conducted at various places in the country. In year 2015-16 three such programmes were conducted at Bangalore, Varanasi and Jaipur. Approximately 360 teachers have received training through these programs so far.

To inculcate the culture of research and its publication among Ayurveda PG scholars, a new programmes was designed and executed in year 2015-16. It was a three day training programmes focusing upon 'Research methods, Manuscript writing and Career Opportunities' for Ayurveda PG students. Three such programmes were conducted in year 2015-16 at Lucknow, Pune and Kolkata respectively. These were highly appraised and approximately 120 PG students were trained in these three programmes.

RAV conducts a two days National seminar every year on some issues of Ayurveda of contemporary relevance. This year, the seminar was conducted on 'Basti Karma - Implications in health and disease'. The seminar was attended by many distinguished authorities of Ayurveda. The event was marked by key note addresses on various topics by eminent scholars of Ayurveda and research paper presentation by research scholars of Ayurveda. About 29 research papers

have been presented in the seminar. A souvenir containing full text of all the 29 papers was also released at the occasion.

Organizing an interactive workshop between teachers and students of ayurveda is also a regular activity of RAV. Continuing the series, this year, the 24th interactive workshop was organized on 'Avritatva and Gatatva of Vata'. This work shop was attended by over 19 teachers and 55 other participants. The interaction between teachers and students was also published in the form of a souvenir.

RAV released 2nd edition of 'Medicinal Plants used in Ayurveda' edited by Dr. Sanjeev Rastogi and Prof. V.V. Prasad this year. This is a prestigious accomplishment of RAV for all aspirants of Ayurveda.

RAV also functions as a nodal agency to the central sector scheme for Continuing Medical Education (CME). After review of CME proposals, total 29 CMEs materialized during 2015-16. A hospital management training program was organized first time under the CME scheme to empower Ayush hospital administrators for better hospital management.

RAV is also evolving many new mechanisms to strengthen its various activities of imparting training in Ayurveda. It is also continuously finding the gaps in existing system and explores the ways to fill these gaps. A regular monitoring of RAV activities is also being done through various feedback and midterm appraisal mechanisms. RAV is continuously striving to excel in its field. It is striving to emerge as a dedicated centre of excellence in the area of Ayurveda skill enhancement and capacity building. RAV is taking many new initiatives in this direction which are supposed to give fruits in future. The annual report for the **year 2015-16** on the activities and achievements of the Vidyapeeth along with the audit report is being presented.

(Dr. Sanjeev Rastogi)

Director

INTRODUCTION

Rashtriya Ayurved Vidyapeeth (RAV) is an autonomous organization under the Ministry of AYUSH, Govt. of India. It is fully funded by the Government of India. It is registered with the Registrar of Societies, Delhi Administration under Societies Registration Act, 1860 vide 11th February, 1988. It started functioning from the year 1991 at Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi -110 026.

The Vidyapeeth was established with the main aim to preserve and arrange transfer of Ayurvedic knowledge possessed by eminent ayurvedic scholars and practitioners to the younger generation through the Indian traditional Guru–Shishya method of education and knowledge transfer. The principle objective is to make new generation Ayurveda scholars proficient in Ayurvedic classical texts and clinical practices.

2. THE OBJECTIVES OF THE VIDYAPEETH

1. To promote the knowledge of Ayurveda.
2. To formulate schemes for continuing education and conducting examinations for the purpose in various disciplines of Ayurveda.
3. To institute due recognition to successful candidates.
4. To recognize and encourage merit in various branches of Ayurveda.
5. To undertake academic work in Ayurveda of National & International importance.
6. To organize workshops and seminars in various branches of Ayurveda.
7. To maintain liason with Professional Associations, Societies, Colleges and Universities for raising standards of Ayurvedic Education.
8. To secure and manage funds and endowments for the promotion of Ayurveda and implementation of continuing education in Ayurveda.
9. To conduct experiments of new methods of Ayurvedic education in order to arrive at satisfactory standards of education.
10. To institute professorships, other faculty position fellowships, research cadre positions and scholarships etc. for realizing the objectives of the Vidyapeeth, etc.

3. COMMITTEES

3.1. GOVERNING BODY

As per Memorandum of Association and orders of Govt. of India, the affairs of the Vidyapeeth are managed by its Governing Body consisting of 16 members including the President. The Governing Body (GB) was reconstituted by the Govt. of India as under for a period of five (5) years w.e.f. 20th December, 2013.

President of Governing Body

1. **'Padmabhusan' Vaidya Devinder Triguna,**
   30 – Sukhdev Vihar,
   New Delhi -110 025.

Govt of India Nominees (Ex-officio)

2. **Additional Secretary & FA,**
   Ministry of Health & F.W.,
   Nirman Bhawan,
   New Delhi- 110 011.

3. **Joint Secretary,**
   Ministry of AYUSH,
   AYUSH Bhawan,
   'B' Block, GPO Complex, INA,
   New Delhi-110 023.

4. **Adviser (Ayurveda),**
   Ministry of AYUSH,
   AYUSH Bhawan,
   'B' Block, GPO Complex, INA,
   New Delhi-110 023.

5. **Vice Chancellor,**
   Gujarat Ayurved University,
   Administrative Bhawan,
   Jamnagar-361 008 (Gujarat).

Experts nominated by Government of India.

6. **Dr. Vijay Vishwanath Doiphode,**
   6, Rajshree Apartments,
   Nilgiri Lane, Baner Road,
   Pune–411 007 (Maharashtra).

7. **Prof. A. Sankar Babu,**
   6-7-621, Sripuram Colony,
   K.T. Road, Tirupati,
   Chittoor District –517 501, (Andhra Pradesh).

8. **Dr. (Smt.) H. R. Vijaya Seshadri,**
   Plot No 1, Mathrusri, Ramnagar North,
   Madipakkam,
   Chennai – 600 091 (Tamilnadu).

9. **Prof. (Dr.) Ballava Kumar Jaysingh,**
   Sarvoday Nagar, Near Raj Palace,
   Puri – 752 002 (Orissa).

10. **Dr. Niranjan Singh Tyagi,**
    Swarg Ashram Road,
    Hapur – 245 101, (Uttar Pradesh).

Members nominated by All India Ayurveda Congress (AIAC).

11. **Vaidya Shiv Kumar Mishra,**
    Former Adviser (Ay), GOI,
    A-604, Tower Apartments, Swasthya Vihar,
    Delhi-110 092.

12. **Vaidya (Smt.) Shashikala Bhagwan Ahire,**
    ASM-43, Abhishek Bungalow,
    Aswin Nagar, SIDCO,
    Distt Nasik – 422 009 (Maharashtra).

13. **Dr. Sanjeev Goyal,**
88/Sector – 28 A
Chandigarh – 160 002.

One Member from Fellows of RAV

14. **Dr. Uma Shanker Nigam,**
2703, Maharaja Tower,
Film City Rd, Goregaon East,
Mumbai-400 063 (Maharashtra).

One Member from alumni of RAV

15. **Dr. Sanjay R. Talmale,**
Assistant Professor, Deptt. of Dravyaguna,
Govt. Ayurveda College,
Raghuji Nagar
Nagpur (Maharashtra).

Member Secretary

16. **Director**
Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Due to resignation of two members, vacancies were created in the Governing Body. Hence, in order to fill those vacancies, two new members namely Dr. Niranjan Singh Tyagi, (nominated by GOI) and Dr. Sanjeev Goyal (nominated by AIAC) had joined GB w.e.f 12th August, 2015.

3.2. STANDING FINANCE COMMITTEE

The Ministry of AYUSH reconstituted Standing Finance Committee (SFC) on 17th January, 2014 for 5 years, co-terminus with the tenure of the Governing Body. The composition of SFC is as follows:

1. **Joint Secretary (AYUSH),** — Chairman (Ex-officio)
Ministry of AYUSH,
AYUSH Bhawan,
'B' Block, GPO Complex, INA,
New Delhi-110 023.

2. **Officer from IFD,** — Member (Ex-officio)
Nominated by Finance Adviser,
Ministry of Health & F.W.,
Nirman Bhawan,
New Delhi-110 011.

3. **Adviser (Ayurveda), Or** — Member (Ex-officio)
Joint Adviser (Ayurveda), Or
Deputy Adviser
Ministry of AYUSH,
AYUSH Bhawan, 'B' Block,
GPO Complex, INA,
New Delhi- 110 023

4. **Prof. A. Sankar Babu,** — Member (Nominated)
(A member of GB from experts)
6-7-621, Sripuram Colony,
K.T. Road, Tirupati,
Chittoor District- 517 501 (Andhra Pradesh).

5. **Vaidya Shiv Kumar Mishra,** — Member (Nominated)
(A member of GB from the AIAC)
A-604, Tower Apartments,
Swasthya Vihar,
Delhi-110 092.

6. **Director,** Member Secretary
Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

4. FUNCTIONS OF THE VIDYAPEETH

In furtherance of its objectives, the Vidyapeeth runs two types of courses under Guru Shishya Parampara namely, CRAV and MRAV. To run these courses, it empanels eminent scholars of ayurveda and vaidyas as Gurus and select shishyas having formal qualifications in Ayurveda for the courses. Besides this, Vidyapeeth also holds seminars/ symposia/ workshops, publishes literature and offers recognition/ felicitation to the eminent scholars of Ayurveda.

4.1. GURU SHISHYA PARAMPARA

Guru Shishya Parampara is the traditional residential method of education wherein the Shishya lives in the vicinity of his Guru and undertakes the studies in a one to one manner by accompanying the guru in his regular routine clinical work. This system vanished with the disappearance of Gurukul. RAV realized that in Ayurveda, this method of knowledge transfer had been very effective and hence the Vidyapeeth is making efforts to revive this system through its courses.

In institutional form of learning only relevant portions of the Samhitas (classical texts of Ayurveda) are being taught in the form of syllabus. On the contrary, the Guru Shishya Parampara programme of RAV provides the students to study whole text to get adequate knowledge of selected Samhita and its Teeka (commentary) and exposes them traditional skills of the Ayurvedic practices. The Shishyas get sufficient time for interaction with the guru and get a live demonstration upon the patients, herbs or formulations during the course of the study.

4.1.1. COURSES:

(A) Acharya Guru Shishya Parampara(Two-year course of Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) (MRAV)

This is an academic programme based upon literary research imparting the knowledge of Ayurvedic Samhitas and commentaries to participants. The main aim of this course is to prepare good teachers, research scholars and experts in Ayurveda Samhitas. The Shishya studies the Samhita, related to his/her specialization in PG course, under the guidance of the Guru for a period of 2 years. The Vidyapeeth started this course in 1992 with an objective of preparing the post graduate doctors as experts in classical texts of Ayurveda.

Candidates possessing adequate theoretical and practical knowledge and good understanding of Sanskrit are admitted to this course. At the end of the course they are required to submit a dissertation, which is regarded as a contribution of the Shishya. Though the Shishya studies the entire Samhita (text) under the expert guidance of Guru, he/she writes dissertation only on prescribed chapters/topics as suggested by Vidyapeeth in consultation with respective Guru in order to avoid duplication of the same work.

(B) Chikitsak Guru Shishya Parampara(One-year course of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) (CRAV)

This course was started in February 1999. This course has the duration of one year for both Ayurvedic graduates and postgraduates. In this course, the candidates possessing Ayurvedacharya (BAMS) or equivalent degree/ PG in Ayurveda are selected for training under eminent practicing Vaidyas, who are empanelled as Chikitsak Gurus. During the course of study, the students learn the procedures like Nadi Pariksha, Aushadhi Nirman, Kshar Sutra, Panchakarma, treatment of diseases, Netra Chikitsa, Asthi Chikitsa pertaining to the Ayurvedic system. Every month, the trainees are required to prepare record of the patients they studied for its subsequent submission to RAV. The work done by the Shishyas like patient history sheets, monthly study reports etc. is examined in Vidyapeeth. Suggestions for improvement are communicated to the Shishyas through their respective Gurus.

4.1.2. GURUS:

(A) Guru for Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (MRAV) course:

Scholars fulfilling the following criteria are appointed as Gurus-

A person is eligible to be appointed as Guru for MRAV course, who is a retired Professor of Ayurveda possessing PG or PhD qualification with good published recognized research work and excellent academic experience Or a retired Director of Research Institution of Ayurveda Or any other person of eminence in Ayurveda having held the post of departmental head of the State, Central/Autonomous organization and other office of repute with vast knowledge and adequate experience in academic or any specialty of Ayurveda Or eminent scholar of Ayurveda.

The Guru should be above 60 years of age, proficient in Sanskrit and in classical texts of Ayurveda. Further, he/she must have very special knowledge and skills to justify selection. In the subject of Dravyaguna, Rasa-Shastra, Bhaishjya Kalpana and other clinical subjects, the Gurus should have basic facility for demonstration or should have access to such facility/Institution in the near vicinity.

(B) Guru for Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)course

Eligibility criteria for Gurus (CRAV)

Following two eligibility criteria have been adopted for selection of CRAV Gurus:

1. Criteria for Individual Gurus.
2. Criteria for Institutional Gurus.

1. Criteria for Individual Gurus.

i. Ayurveda practitioners having enrolment on any State Register of Indian Medicine under Section 17 of IMCC Act, 1970.

ii. Age should be above 50 years.

iii. Practitioners with at least 20 years of experience of pure Ayurvedic clinical practice mainly with classical medicines and having own Ayurvedic practice in any of the branches of Ayurveda.

iv. Practitioner shall not be employed in any Ayurvedic college and attached hospital or any other hospital on regular basis other than honorary basis.

v. Ayurveda practitioners aspiring to be a CRAV Guru should have minimum OPD of 25 patients per day.

vi. In case of surgical practice, besides OPD of 15 patients per day, the Vaidya must be performing at least 5 surgical procedures daily.

vii. In case of Ayurvedic Pharmacy, the Vaidya should have own pharmacy and should have an experience of preparation of Ayurvedic formulations for at least 20 years.

viii. Willingness to train the young Ayurvedic doctors and provide them hands-on training and share own knowledge and skills without any reservation.

ix. Gurus under this category can be given upto 2 students. If they have in patient facility of 10 beds and above, they can be given upto 4 students.

2. Criteria for Institutional Gurus (Institutional Training Centres).

a. Centre for excellence declared by Ministry of AYUSH.

b. Ayurvedic hospital with at least 50 beds and 200 out patients per day.

c. Hospital having minimum 10 years of existence. However, the Guru who is designated as the incharge of the training should have minimum experience of at least 20 years.

d. The institution should be known for pure Ayurvedic treatment and there should be no integrated practice.

e. Upto 8 students may be given to such institutions and the chief physician/doctor of the institution and/or other senior doctors will be incharge of training of shishya.

(C) Empanelment:

The selection of Guru of any course is done by a Search Committee comprising of experts nominated by the Governing Body or its President. The Committee scrutinizes bio-data of scholars and Vaidyas and selects the Guru after proper discussion on his/her competence and recommends to Governing Body for empanelment. After the approval of the Governing Body the letter of empanelment is sent to guru, whenever, vacancy arises after receiving his/her willingness for teacher-ship and adherence to rules of the Vidyapeeth and ascertaining that facilities for training are available with him/her. Selection of Guru is purely on temporary basis for the period of one term i.e. one year in CRAV course and two years in MRAV course. The Governing Body or a Committee chaired by President, Governing Body reviews the work of Guru and accords extension, whenever necessary. The appointment stands completed when there is no student under the Guru or when all the students under him/her have completed their studies/duration of study.

4.1.3. SHISHYAS:

The advertisement for admission to MRAV and CRAV courses is given in newspapers on all India basis, inviting applications from eligible candidates.

As per the rules of RAV, Ayurvedic postgraduate degree holders in the concerned subject below the age of 32 years are eligible to be selected as MRAV Shishyas. Regular teachers duly sponsored by Government are given relaxation upto age of 40 years to take training in MRAV course. Candidates with Ayurvedacharya (BAMS) or an equivalent degree are selected in CRAV course. The maximum age limit for admission in this course is 30 years for U.G. degree holders and 32 years for P.G. degree holders. Relaxation up to 35 years is given to permanently employed doctors duly sponsored by Government. The qualifications of candidates must have been recognized by CCIM.

After the scrutiny of the applications received, the eligible candidates are called for a written test. Various aspects of syllabus of graduate course with special emphasis on clinical

4.5 NATIONAL INTERACTIVE WORKSHOPS BETWEEN PG STUDENTS AND TEACHERS OF AYURVEDA

It is the common experience of students, junior teachers and young doctors, who in the beginning of their professional career come across certain points of topics/subjects in texts, which may require clarification/explanation, interpretation and scientific understanding. In some of the colleges, where the faculty is deficient of experienced and qualified staff, the students constantly make efforts to understand the concepts of Ayurveda and their practical utility.

It is frequently raised and argued by the students that some of the topics that cannot be explained in terms of present scientific understanding may be deleted from the syllabus/texts, as these are not relevant in the present context.

But before entering into such conclusion it is felt necessary that interactive session should take place between students and eminent scholars and experienced Vaidyas, where there could be an opportunity to discuss such points of doubt. It is observed that the routine seminars of specific subject/topic limit the discussion to that topic and many times fail to clarify the doubts of students and participants for lack of time. In the fields of learning involving study of ancient texts and applying them in day-to-day practice in order to promote health care of the people, there is every possibility of queries in the professionals regarding the applicability of ancient thoughts in the present day understanding.

Questions are invited from students on selected topics from the Samhitas, Nighantus, Chikitsa Granthas and other texts of Ayurveda, on which they require clarification. On receipt of the questions from the students, these are sent to those Ayurvedic scholars (resource persons) who have sound knowledge of that subject, and who can clarify their doubts. The questions and answers are compiled in the form of a book and distributed in the workshop for scientific discussion. The questioners and experts are invited to participate in the workshop.

So far, RAV has conducted 24 such Interactive Workshops and released books of Questions and Answers discussed in the workshop.

4.6. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA TEACHERS ON SAMHITA BASED CLINICAL DIAGNOSIS

In a survey of Ayurveda Institutes conducted by RAV and AYUSH to assess the standards of Ayurveda Education and Educational Institute in the year 2012, it was observed that the information such as Dashavidha Pariksha, Srotas Parikshan etc. was lacking in Clinical case records at many institutes. The art of clinical diagnosis based on Samhitas and classical

methodology described in Ayurveda is disappearing. Many teachers as well as PG students showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic methods.

In view of above, a novel training programme has been initiated by RAV during the year 2013-14 for providing practical demonstration of Samhita (text)-based clinical methods of examination by eminent scholars in the field.

Ayurveda is indigenous medicine of our country and it is practiced in India for several centuries. There are number of treatment procedures, therapies and medicines in public domain. Many practitioners, either gained knowledge traditionally from their forefathers or out of their own experience, are practicing Ayurveda and benefitting the local population. The knowledge and skills possessed by them in patient care should be transmitted to present young doctors. Further, the knowledge of Ayurveda is required to be interpreted as per the concepts of Ayurveda in diagnosis and treatment. Previous year RAV has conducted 03 such training programme.

4.7. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA PG SCHOLARS ON RESEARCH METHODOLOGY, MANUSCRIPT WRITING AND CAREER OPPORTUNITIES

This is a common observation that ayurveda has a minimal share in the global scientific literature. Despite of large number of PG and PhDs being produced in ayurveda every year, the number of published research remains minimal. The reason is poorly conducted research in Ayurveda which do not possess a merit of publication. This was also observed that the poor research conduction in ayurveda is basically an outcome of poor acquaintance of research methods by the ayurveda PG students . RAV has realised this gap recently and has designed a specific program for Ayurveda PG scholars focusing upon research methods, manuscript writing and also the guidance upon career opportunities. In year 2015-16 three such programs were conducted at Lucknow, Pune and Kolkata.

4.8. PUBLICATIONS

The Vidyapeeth has been publishing certain books of Ayurveda, which cater to general public in creating awareness and also useful to students and professionals of Ayurveda and allied sciences. The Vidyapeeth also publishes the thesis of its students after necessary review and recommendation by the Expert Committee and approval by the Governing Body. RAV has so far published 22 souvenirs and 10 books including, four based on thesis submitted by its students of two-year course. Twenty four question-answer books pertaining to interactive workshops were also published by the Vidyapeeth. RAV has also published the second edition of much appraised

book, 'Medicinal Plants used in Ayurveda'. This book has incorporated 600 new entries in the form of medicinal plants and was released during the convocation of 2015-16.

5. TECHNICAL REPORT (Activities conducted during 2015-16)

5.1 MEETINGS HELD DURING THE YEAR:

During the year under report two meetings of Governing Body as well as two meetings of Standing Finance committee were conducted. Details are as under:

(a) Meetings of Governing Body:

During the year two meetings of Governing Body (40th & 41st GB meetings) were convened on 25th June, 2015 and 9th October, 2015 respectively as per details given below:

40th Governing Body meeting held on 25th June, 2015

The following members were present in the meeting:-

1. 'Padmabhusan' Vd. Devinder Triguna, New Delhi- President of G.B.
2. Shri Anurag Srivastava, Joint Secretary, M/o AYUSH
3. Dr. Manoj Nesari, Adviser (Ayu), M/o AYUSH-Ex-officio Member.
4. Dr. Ballava Kumar Jaysingh, Puri - Member
5. Vaidya Shiv Kumar Mishra, New Delhi - Member
6. Vaidya (Smt.) Shashikala Bhagwan Ahire, Nasik - Member
7. Dr. Uma Shanker Nigam, Mumbai - Member
8. Dr. Sanjay R Talmale, Nagpur - Member
9. Dr. Sanjeev Rastogi, Member Secretary and Director, RAV
10. Shri Rajkumar, Director, Ministry of AYUSH, New Delhi - Invitee
11. Shri K. Sitaraman, Consultant, NI, Ministry of AYUSH - Invitee

Major decisions taken in 40th meeting of GB:

A 40th Meeting of GB was held 25th June, 2015 wherein following important recommendations were approved.

1. Approved the Annual Accounts for the year 2014-15.
2. Approved the Budget Estimate for the year 2015-16.
3. Approved to conduct the Interactive Training Programme in the subject of "Clinical relevance of the concept of Avritatva and Gatatva of Vata".

4. Approved to hold 03 Training Programmes for Ayurvedic teachers at Banaras, Jaipur and Bangalore within the budgetary limits of Rs. 5.00 lakhs only per programme.
5. Approved to conduct the National Seminar and Convocation at New Delhi during Feb/March, 2016, within an overall ceiling of Rs. 22 lakhs only.

41st Governing Body meeting held on 9th October, 2015

The following members were present in the meeting:-

1. 'Padmabhushan' Vd. Devinder Triguna, New Delhi –President
2. Sh. G.R. Raigar, DS, New Delhi- Ex-Officio Member

   (Representative of Additonal Secretary & FA, M/O Health & Family Welfare, New Delhi)
3. Sh. Anurag Srivastava, Joint Secretary, AYUSH -Ex-officio Member
4. Dr. Manoj Nesari, Adviser (Ayu) - Ex-officio Member
5. Dr. Rajesh Kotecha,VC, G A U, Jamnagar-Ex-officio Member
6. Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune –Member
7. Prof. A. Sankar Babu, Tirupati – Member
8. Dr. (Smt.) H.R. Vijaya Seshadri, Chennai –Member
9. Vaidya Shiv Kumar Mishra, Delhi - Member
10. Dr. Niranjan Singh Tyagi, Hapur - Member
11. Dr. Sanjeev Goyal, Chandigarh - Member
12. Dr. Sanjeev Rastogi, Director, RAV, New Delhi - Member-Secretary
13. Sh. Rajkumar, Director, Ministry of AYUSH, New Delhi –Invitee
14. Sh. K. Sitaraman, Consultant, NI, Ministry of AYUSH, New Delhi – Invitee

Major decisions taken in the 41st meeting of GB:

1. Approved the Seminar's topic as 'Basti Karma'.
2. Governing Body decided to constitute a Sub-Committee of G.B. for the selection of the Fellows (FRAV) and Life time achievement award and asked to submit its recommendations to G.B. for approval.
3. Upper age limit of CRAV candidate was revised to 30 years for General category candidate and relaxation under reservation as per govt. norms.

(b). Standing Finance Committee (SFC) meeting:

During the year under report two meetings of Standing Finance Committee (SFC) were conducted with ex-officio members of the SFC on 15th June, 2015 and 18th August, 2015.

The following members were present in both meetings:-

1. Shri Anurag Srivastava, J.S., Ministry of AYUSH- Ex-officio Member
2. Shri G.R. Raigar, DS, (Representative of Additonal Secretary & FA, M/O Health & FW, New Delhi - Ex-Officio Member
3. Dr. Manoj Nesari, Adviser (Ayu) -Ex-officio Member
4. Prof. A. Sankar Babu, Tirupati - Member
5. Vaidya Shiv Kumar Mishra, Delhi - Member
6. Shri Rajkumar, Director, Ministry of AYUSH, New Delhi – Invitee
7. Shri S.D. Sharma,U.S., Ministry of AYUSH, New Delhi – Invitee
8. Consultant (KSR), NI, Ministry of AYUSH– Invitee
9. Dr. Sanjeev Rastogi, Director RAV – Member Secretary

Major decisions taken in 24th meeting of SFC:

A 24th meeting of SFC was held on 15th June, 2015 wherein following important recommendations were approved.

1. The committee approved the annual accounts of RAV for the year 2014-15.
2. Approved to conduct 3 programmes at Bangalore, Jaipur and Varanasi for the current year with the budgetary limit of Rs. 5 Lakhs per programme.
3. Approved to conduct the Interactive training programme on "Clinical relevance of the concept of "'Avritatva' and 'Gatatva' of Vata" within the approved budget of Rs. 7 Lakhs.
4. Approved to conduct the National Seminar on the topic "Basti Karma – Implications in health and disease" at New Delhi during Feb/March, 2016, upto the cost of Rs. 22 Lakhs.

Major decisions taken in 25th meeting of SFC:

A 25th meeting of SFC was held on 18th August, 2015 wherein following important recommendations were approved.

1. Approved the proposal of Preparation of text book of Kaya Chikitsa (Internal Medicine).
2. Approved the detailed expenditure budget of RAV for the year 2015-16.
3. Approved the 3 Training Programmes at Pune, Lucknow and Kolkata for PG Scholars.
4. Approved to start a Bi-annual journal by RAV.
5. Approved to appoint one Technical Assistant to Director, RAV.

5.2 GURU SHISHYA PARAMPARA

A) Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)

Selection of the CRAV Gurus:

In order to begin the new session of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course for the year 2015-16, an advertisement was brought out on 10th December, 2015 in all leading newspapers on all India basis through DAVP for appointment of Gurus for the course. About 70 applications were received from prospective Vaidyas/Scholars.

A Sub-Committee of Governing Body consisting of following members was formed with the approval of President of GB, RAV for scrutinizing the received applications :

1. **Dr. Manoj Nesari,** **- Chairman**
   Adviser (Ayurveda),
   Ministry of AYUSH,
   'B' Block, GPO Complex, INA
   New Delhi- 110 023.

2. **Vaidya Shiv Kumar Mishra,** **-Member**
   Former Adviser (Ay.), GOI,
   A-604, Tower Apartments,
   Swasthya Vihar,
   Delhi-110 092.

3. **Dr. Vijay Vishwanath Doiphode,** -Member
6, Rajshree Apartments,
Nilgiri Lane, Baner Road,
Pune–411 007.

4. **Dr. Niranjan Singh Tyagi,** - Member
Swarg Ashram Road
Hapur – 245 101 (Uttar Pradesh).

5. **Dr. Sanjeev Rastogi** -Member-Secretary
Director,
Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

The above committee scrutinized the applications and shortlisted 24 names out of 70 applicants, as per eligibility criteria. Additionally, a few names as suggested by the GB members were also considered. For finalizing the names of Gurus the 2nd Sub-committee meeting was held on 12th February, 2016 in which 38 names have been approved and 24 names were retained for consideration after the visitation reports. After visiting the places of various applicants, 11 names have been considered, thus total 49 Gurus comprising of 44 Individual Gurus and 5 Institutional Gurus have been selected. Subsequently, one selected individual guru expressed his inability to become guru hence, one new guru was empaneled after the visitation. The details of the empanelled gurus for CRAV for this year is as under:

Sl.No.	Name and Place of Gurus	Subject
1.	Dr. Vijayan Nangelil, Kothamangalam (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa
2.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum(Kerala)	Asthi Chikitsa
3.	Dr. Ramdas M. Avhad, Ahmednagar (Maharashtra)	Kayachikitsa
4.	Dr. K. Chidambaram, Kanyakumari (Tamilnadu)	Kayachikitsa
5.	Vd. B. P. Gupta, New Delhi	Kayachikitsa

6.	Vd. Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa
7.	Vd. Achyut Kumar Tripathi, Noida (Uttar Pradesh)	Kayachikitsa
8.	Vd. Gujarathi Narendra Narayandas, Jalgaon (Maharashtra)	Kayachikitsa
9.	Prof. Ram Harsh Singh, Varanasi (Uttar Pradesh)	Kayachikitsa
10.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa
11.	Vd. Parashuram Yashawant Vaidya Khadiwale, Pune (Maharashtra)	Kayachikitsa
12.	Vd. Ravindra Vatsyayan, Ludhiana (Punjab)	Kayachikitsa
13.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (Maharashtra)	Kayachikitsa
14.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (Madhya Pradesh)	Kayachikitsa
15.	Dr. Damaniya Panchabhai, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa
16.	Vd. Jagjit Singh, Mohali (Punjab)	Kayachikitsa
17.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur, (Kerala)	Kayachikitsa
18.	Vd. Maa Anantanand Tirth, Ahmedabad (Gujarat)	Kayachikitsa
19.	Dr. Ramesh R Varier, Madurai, (Tamilnadu)	Kayachikitsa

20.	Dr. A. B. Sasidharan Nair, Changanacherry (Kerala)	Kayachikitsa
21.	Vd. Jayant Deopujari, Nagpur (Maharashtra)	Kayachikitsa
22.	Dr.Vinay Vasudeo Welankar, Thane (Maharashtra)	Kayachikitsa
23.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada, Karnataka	Kayachikitsa
24.	Dr. Raghuraj Chaturvedi, Vidisha (Madhya Pradesh)	Kayachikitsa
25.	Vd. Tara Chand Sharma New Delhi	Kayachikitsa
26.	Vd. Suresh Chaturvedi Mumbai (Maharashtra)	Kayachikitsa
27.	Vaidya Jagadeeshwari Prasad Mishra "Basant" Sitamarhi (Bihar)	Kayachikitsa
28.	Dr. Santosh Bhagwanrao Nevpurkar Aurangabad (Maharashtra)	Kayachikitsa
29.	Dr. Ishwar Chander Nangal (Punjab)	Kayachikitsa
30.	Dr. Mukul Patel, Surat (Gujarat)	Ksharshutra
31.	Vaidya Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharshutra
32.	Dr. Raman Singh, Varanasi (Uttar Pradesh)	Ksharshutra
33.	Dr. Dinesh Chander, Kurukshetra (Haryana)	Ksharshutra

34.	Dr. K. V. S. Rao, Bhilai (Chhatisgarh)	Ksharshutra
35.	Dr. Lalta Prasad, Bareilly (Uttar Pradesh)	Ksharshutra
36.	Vd. Satpal Gupta, Ambala Chhavani, Haryana	Ksharshutra
37.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (Himachal Pradesh)	Ksharshutra
38.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa
39.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala) (Sita Ram Pharmacy)	Pharmacy
40.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (Maharashtra)	Pharmacy
41.	Dr. Vivek Dattatraya Sane, Pune (Maharashtra)	Pharmacy
42.	Dr. L. Sucharitha, Bangalore (Karnataka)	StreeRoga
43.	Vd. P.V. Tewari, Varanasi (Uttar Pradesh)	StreeRoga
44.	Dr. Jaysukh Ramajibhai Makwana Rajkot (Gujarat)	Danta Chikitsa
45.	Dr. P. Madhavankutty Varier Arya Vaidya Sala, Kottakkal (Kerala)	Institutional Guru
46.	Dr. N.P. Parameswaran Namboothiri, Shree Dhareeyam, Ernakulam (Kerala)	Institutional Guru
47.	Vd. S.P. Sardeshmukh, Bharatiya Sanskriti Darshan Trust, Pune (Maharashtra)	Institutional Guru

48.	Dr. P.R. Krishanakumar, The Aravaidya Chikitsalayam and Research Institute Coimbatore (Tamilnadu)	Institutional Guru
49.	Dr. Kandarp Desai, Smt. Maniben Amrutlal Hargovan Hospital, Ahmedabad (Gujarat)	Institutional Guru

Admission and Training of the CRAV Students:

In order to admit the students (Shishyas) during the year an advertisement was brought out in all the leading newspapers all over the country on 13th January, 2016. Besides this, the copies of advertisement were sent to all the Graduate and Post Graduate Ayurveda Colleges/Universities to display it on their Notice-Board. The copies of advertisement were also sent to all Gurus and members of the Governing Body along with prospectus and other rules.

In response of the advertisement about 321 applications were received and scrutinized. Admit Cards were issued to all 321 eligible candidates for appearing in written test which was conducted at pre-approved examination centres at Delhi and Bangalore on 14th February, 2016.174 students appeared at Delhi centre and 128 students appeared at Bangalore centre. Total 302 applicants appeared for the tests at both centres. Question paper for written test containing 100 objective-type questions was prepared in Hindi and English. Total 140 students were selected on the basis of their merit. Joining letters had been issued to all, however only 74 students joined the course till the end of the joining time. After the expiry of joining date of first merit list, 64 students were further selected from waiting list to fill the remaining seats for the 49 Gurus. From the waiting list of 64 only 39 students joined the course.

Thus, the following 113 students are receiving training under 42 Gurus. The details are as under:-

S.No.	Name & Place of Guru	Specialty	No. of Students
1.	Dr. L. Sucharitha, Bangalore, (Karnataka)	Stree Roga	2
2.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa	2

3.	Dr. Mukul Patel, Surat (Gujarat)	Ksharsutra	1
4.	Vaidya Ramdas Mhaluji Avhad, Ahmed Nagar (Maharashtra)	Kayachikitsa	2
5.	Dr. K. Chidambaram, Kanyakumari (Tamilnadu)	Kayachikitsa	4
6.	Vaidya B.P. Gupta, Delhi	Kayachikitsa	2
7.	Vaidya Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	2
8.	Dr. Raman Singh, Varanasi (Uttar Pradesh)	Ksharsutra	2
9.	Vd. Gujarathi Narendra Narayandas, Jalgaon (Maharashtra)	Kayachikitsa	1
10.	Vaidya Achyut Kumar Tripathi, Noida (Uttar Pradesh)	Kayachikitsa	1
11.	Dr. Dinesh Chander, Kurukshetra (Haryana)	Ksharsutra	2
12.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (Chhatisgarh)	Ksharsutra	3
13.	Prof. Ram Harsh Singh, Varanasi (Uttar Pradesh)	Kayachikitsa	2
14.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa	1
15.	Vaidya ParashuramYashawant Vaidya Khadiwale, Pune (Maharashtra)	Kayachikitsa	2
16.	Dr. Lalta Prasad, Bareilly (Uttar Pradesh)	Ksharsutra	1
17.	Dr. Vijayan Nangelil, Ernakulam, Kerala	Asthi & Marma Chikitsa	3

18.	Vaidya RavindraVatsyayan, Ludhiana, Punjab	Kayachikitsa	1
19.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (Maharashtra)	Kayachikitsa	3
20.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (Madhya Pradesh)	Kayachikitsa	2
21.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum(Kerala)	Asthi Chikitsa	4
22.	Dr. P. Madhavankutty Varier, Kottakkal (Kerala) **(Institutional Guru)**	Kayachikitsa	7
23.	Dr. N. P. Parameswaran Namboothiri, Ernakulam (Kerala) **(Institutional Guru)**	Netra Chikitsa	7
24.	Vaidya S. P. Sardeshmukh, Pune (Maharashtra) **(Institutional Guru)**	Kayachikitsa	6
25.	Dr. P. R. Krishanakumar, Coimbatore (Tamilnadu) **(Institutional Guru)**	Kayachikitsa	8
26.	Dr. Damaniya Panchabhai, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa	2
27.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	2
28.	Vaidya Jagjit Singh, Mohali(Punjab)	Kayachikitsa	1
29.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala)	Pharmacy	3
30.	Vaidya P.V. Tewari, Varanasi (UP)	StreeRoga	2

31.	Vaidya Maa Anantanand Tirth, Ahmedabad (Gujarat)	Kayachikitsa	2
32.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (Maharashtra)	Pharmacy	2
33.	Dr. Kandarp Desai, Ahmedabad (Gujarat) **(Institutional Guru)**	Kayachikitsa (Institutional Guru)	6
34.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (H.P)	Ksharsutra	1
35.	Dr. Ramesh R Varier, Madurai, Tamilnadu	Kayachikitsa	4
36.	Dr. A. B. Sasidharan Nair, Changanacherry (Kerala)	Kayachikitsa	3
37.	Vaidya Jayant Deopujari, Nagpur (Maharashtra)	Kayachikitsa	2
38.	Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (Maharashtra)	Kayachikitsa	1
39.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada, Karnataka	Kayachikitsa	4
40.	Dr. Raghuraj Chaturvedi, Vidisha (Madhya Pradesh)	Kayachikitsa	2
41.	Dr. Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharsutra	3
42.	Vd. Vivek Dattatraya Sane, Pune (Maharashtra)	Pharmacy	2
		Total	**113**

5.3 Annual Convocation of the Vidyapeeth

The Annual Convocation of the Vidyapeeth was organized on 14th March, 2016 in New Delhi. Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of AYUSH, had attended the function as the

Chief Guest and Shri Ajit M. Sharan, Secretary, M/o AYUSH had also attended the function as a Guest of Honour. Convocation Address was delivered by Vd. Rajesh Kotecha, Vice Chancellor, Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. 'Padambhusan' Vd. Devinder Triguna, President of Governing Body presided over the function. Fourty Two (42) students, who completed their one year course (CRAV), were awarded certificates of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth and 10 eminent Vaidyas from different states were felicitated with Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Besides this, 2 renowed Ayurvedic scholars were also honoured with Life Time Achievement awards for their significant contribution to the progress of Ayurveda.

a) **Award of CRAV:**

42 students, who received training under following Gurus, were conferred CRAV certificates during convocation:

S.No.	Name of gurus and palace	No. of Students
1.	Vaidya Ramdas Mhaluji Avhad, Ahmed Nagar (M.S.)	1
2.	Dr. K. Chidambaram, Kanyakumari, Tamilnadu	1
3.	Vaidya B.P. Gupta, Delhi	1
4.	Vaidya Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	1
5.	Dr. Satya Prakash Gupta, Moradabad (U.P.)	1
6.	Prof. Ram Harsh Singh, Varanasi (U.P.)	2
7.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (A.P.)	1
8.	Vaidya Ravindra Vatsyayan, Ludhiana, Punjab	1
9.	Vaidratan Mahesh Dutta Sharma 'Shastri', Jabalpur (M.P.)	1
10.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (M.S.)	2
11.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (M.P.)	2
12.	Dr. P. Madhavankutty Varier, Kottakkal, Kerala	2
13.	Vaidya S.P. Sardeshmukh, Pune (M.S.)	1
14.	Dr. P.R. Krishanakumar, Coimbatore, Tamilnadu	1
15.	Vaidya Jagjit Singh, Mohali, Punjab	2
16.	Vaidya Jagdish Prasad Sharma, Sikar, Rajasthan	2
17.	Vaidya Maa Anantanand Tirth, Ahmedabad, Gujarat	1
18.	Dr. L. Sucharitha, Bangalore, Karnataka	1
19.	Vaidya P.V. Tewari, Varanasi (U.P.)	1
20.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur, Kerala	2
21.	Dr. N.P. Parameswaran Namboothiri, Ernakulam, Kerala	1
22.	Dr. Mukul Patel, Surat, Gujarat	2
23.	Dr. Pragnesh D. Pandya, Bhavnagar, Gujarat	1
24.	Dr. Raman Singh, Varanasi (U.P.)	2
25.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (C.G.)	2
26.	Dr. Vijayan Nangelil, Ernakulam, Kerala	2
27.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum, Kerala	1
28.	Dr. Jaysukh Ramajibhai Makwana, Rajkot, Gujarat	2
29.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur, Kerala	2
		42

b). **Award of Fellowship:**

During the year 2015-16, 10 eminent scholars and Vaidyas were honoured with Fellow of RAV by Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of AYUSH, Govt. of India in the 20th Convocation of the Vidyapeeth held on 14th March, 2016. The list is as follows:

1. Vd. Hari Shankar Bhardwaj, Delhi
2. Dr. V.V. Prasad, Nadiad, Gujarat
3. Dr. Ram Babu Dwivedi, Hardoi, U.P.
4. Prof. (Dr.) H.M. Chandola, Dehradoon, Uttrakhand
5. Dr. Anant Dharmadhikari, Pune, M.S.
6. Dr. (Smt.) H.R. Vijaya Seshadri, Chennai
7. Dr. Niranjan Singh Tyagi, Hapur, U.P.
8. Dr. M.S. Baghel, Jaipur, Rajasthan
9. Dr. Ashwani Kumar Sharma, New Delhi
10. Dr. Ballava Kumar Jaysingh, Puri, Orissa

c). Life Time Achievement Award

Two eminent Ayurvedic scholars were also felicitated with Life Time Achievement awards for their significant contribution to the progress of Ayurveda:

1. Vd. Panniyampilly Krishnankutty Warrier, Kottakal
2. Vd. Parashuram Yashawant Vaidya Khadiwale, Pune

5.4. NATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR ON 'BASTI KARMA - IMPLICATIONS IN HEALTH AND DISEASE':

Every year the Vidyapeeth organizes a National Seminar on a disease, which requires discussion and exchange of views and dissemination of clinical experience and research outcome on its diagnosis and treatment.

This year Vidyapeeth has organized a National Scientific Seminar on 'Basti Karma - Implications in health and disease' for two days on 14-15 March, 2016. The Seminar was attended by many dignitaries and was presided by 'Padmabhusan' Vaidya Devinder Triguna, President of Governing Body of RAV.

The main aim to organize the above said seminar was as under:

"Basti is one of the most important component of Pancha Karma aiming at management of Vata disorders. It is widely practiced in Ayurvedic clinics and hospitals throughout the country.

Basti has got a vivid description in Ayurvedic classics referring to its methods of preparations, indications, contraindications and actual procedure. Basti is being utilized in the management of many primary vata disorders or secondary diseases where Vata got involved at a later stage. Unfortunately many such claims of Ayurveda in relation to the use of Basti in various disease conditions are not backed with scientific validation.

This seminar was an attempt to bring forth all the research works conducted in the field referring to Basti and its clinical implications.

This seminar was attended by many pioneers in the field along with scientists who have put light upon the plausible mechanisms related to action of Basti.

RAV, in order to facilitate the dissemination of research outcome and experiences of Vaidyas on Basti Karmas, had invited original papers preferably on clinical studies with scientific data from subject experts and experienced Ayurvedic persons.

A souvenir containing 29 selected full papers mostly on clinical studies was released and all twenty nine scientific papers were presented by Vaidyas and researchers in these two days.

5.5. INTERACTIVE WORKSHOPS BETWEEN STUDENTS & TEACHERS OF AYURVEDA

In interactive workshops for the students of post graduate level, junior teachers and young Vaidyas were being arranged for providing clarification and scientific understanding to their doubts which they are facing in their daily practice and on the controversies related to textual contents.

During the year under report the Vidyapeeth has conducted its 24th interactive workshop in the subject of 'Avritatva and Gatatva of Vata' on 16-17 Dec., 2015 at Udupi, Karnataka. The workshop was attended by over 19 experts and around 55 participants. The interaction between teachers and students was also published in the form of a souvenir.

5.6. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA PG SCHOLARS ON RESEARCH METHODOLOGY, MANUSCRIPT WRITING AND CAREER OPPORTUNITIES

RAV observed that the poor research conduction in ayurveda is basically an outcome of poor acquaintance of research methods by the ayurveda PG students and has designed a specific program for Ayurveda PG scholars focusing upon Research Methods, manuscript writing and also the guidance upon carreer opportunities. In the year 2015-16 three such programs were conducted at Lucknow, Pune and Kolkata.

These were the three day training programs involving senior faculties of ayurveda and allied disciplines who are highly proficient in research. Participants are invited from Ayurveda PG Colleges from whole of the country. This was seen that this training program was highly appraised and demanded by Ayurveda PG scholars. Approximately 120 ayurveda PG students have been trained in these programs so far.

RAV had conducted these training programmes in following places for ayurveda PG scholars on research methodology, manuscript writing and career opportunities.

Sl.No.	Place	Duration
1.	Lucknow	27th – 29th October 2015
2.	Pune	21st – 23rd December 2015
3.	Kolkata	06th – 08th January 2016

5.7. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA TEACHERS ON SAMHITA BASED CLINICAL DIAGNOSIS:

A novel training programme has been initiated by RAV during the year 2013-14 for providing practical demonstration of Samhita (text)-based clinical methods of examination by eminent scholars in the field because it was observed that the information such as Dashavidha Pariksha, Srotas Pariksha etc. was lacking in Clinical case records at many institutes. The art of clinical diagnosis based on Samhitas and classical methodology described in Ayurveda is disappearing. Many teachers showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic method.

Hence, in order to promote the practice of art of clinical diagnosis based on texts of Ayurveda and classical methodology described in Ayurveda, RAV had conducted following three training programmes for teachers of medicine, pathology and Panchakarma of Ayurveda:-

Sl. No.	Places	Duration
1	Bangalore	29th – 30th July 2015
2	Varanasi	12th – 13th August 2015
3	Jaipur	02nd – 03rd September 2015

Eminent scholars have delivered lectures and conducted practical sessions. Around 90 teachers had been benefitted through these training programmes.

5.8. PUBLICATIONS/ SALE OF BOOKS

During the year, the Vidyapeeth has published one Souvenir during the National Seminar on 'Basti Karma - Implications in health and disease' and one during the Interactive Workshop

Second edition of 'Medicinal Plants used in Ayurveda' was released by Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of AYUSH on the occasion of 20th Convocation during 14-15th March 2016, which was edited by Dr. Sanjeev Rastogi, Director, RAV & Prof. V.V. Prasad and compiled by Dr. K.C. Chunekar & Dr. C.L. Yadav.

During the year the Vidyapeeth sold its publications worth Rs. 4,43,904/- (Rupees Four lakh forty three thousand nine hundred four only).

5.9. OTHER ACTIVITIES

A) Participation in Arogya Exhibitions:

The Vidyapeeth had participated in Seven Arogya exhibitions organized by Ministry of AYUSH, Govt of India. Details are as under:

1st AROGYA held in Thiruvanathapuram from 21stto 24th May, 2015.

2nd AROGYA held in Varanasi from 12th to 15th December, 2015.

3rd AROGYA held in Bangalore from 3rd to 7th January 2016.

4th AROGYA held in Dehradun from 5th to 8th February, 2016

5th AROGYA held in Ranchi from 12th to 15th February, 2016.

6th AROGYA held in Pune from 19th to 26th March, 2016.

7th AROGYA held in Goa from 26th to 29th March, 2016.

Stalls were put up and posters depicting the activities of RAV and publications were displayed during the AROGYA exhibitions. Information Brochures of RAV in Hindi and English on activities and achievements were also distributed free to the visitors, besides sale of publications.

B) <u>Monitoring and implementation of Central Sector scheme of Continuing Medical Education</u> (CME) :

The Vidyapeeth as Nodal Office has been implementing the Central Sector Scheme of CME of Ministry of AYUSH. These programmes were conducted throughout the country in selected institutions with objectives of upgrading the knowledge of teachers, medical officers and other personnel of AYUSH systems and providing them the information on advancements and research outcome in the fields of diagnosis, management, drugs etc. in concerned subjects. Orientation Training Programmes in Yoga and other AYUSH subjects were also arranged for AYUSH and Allopathy doctors besides Training of Trainers and other capacity building programmes.

During 2015-16, funds of Rs. 180.00 lakhs have been released for 29 CME programmes, consisting of 16 CMEs for teachers, 10 CMEs for doctors, 2 CMEs for Paramedics and 1 CME for Management training and during this year 30 Utilization Certificates pending against 26 institutions/colleges to an amount of Rs. 193.25 lakh were also liquidated.

State-wise statement of releases of CME Programmes of AYUSH for Teachers & Doctors during year- 2015-16: Annexure-1

Sl. No	STATE	NUMBER OF INSTITUTIONS	AYURVEDA		HOMOEOPATHY		UNANI		SIDDHA		YOGA& NATUROPATHY		AMCHI (Sowa Rigpa)	MISCELL-ANEOUS	Amount released (Rs in lakhs)
		Govt.+Private	CME for teachers	CME for doctors (6 days)	CME for teachers	CME for doctors (6 days)	CME for teachers	CME for doctors (6 days)	CME for teachers	CME for doctors (6 days)	CME	OTP	CME for doctors (6 days)		
1.	DELHI	2+0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (2day AIIMS)	-	-	9.00
2.	GUJARAT	1+1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2 CME (Paramedics + Nurses)	16.00
3.	KERALA	0+1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
4.	KARNATAKA	0+2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00
5.	MADHYA PRADESH	2+0	-	-	-	-	1	1 (2-day)	-	-	1	-	-	-	15.00
6.	MAHARASHTRA	0+2	-	-	1	1 (2 day)	-	-	-	-	1	1	-	-	22.00
7.	UTTARANCHAL	1+2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21.00
8.	TAMILNADU	1+1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	21.00
9.	UTTAR PRADESH	4+0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (Management Training Programme)	48.00
10.	HIMACHAL PRADESH	0+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7.00
	Total	11+10 (21)	6	3	5	1	1	1	2	1	2	3	1	3	180.00
			TOTAL PROGRAMMES = 29												

5.10 Budget and Expenditure

During the year 2015-16, Ministry of AYUSH, Govt. of India provided a sum of ₹8,00,00,000/-(Rupees Eight crore only) as grant-in-aid under Plan besides permitting utilization of ₹1,90,21,126/- and ₹21,39,339/- was also available as internal generation of 2014-15 making a total of ₹10,11,60,465/- (Rupees Ten crore eleven lakhs sixty thousand four hundred sixty five only) available for Plan activities of the Vidyapeeth. The Ministry of AYUSH also provided a sum of ₹45,93,146/- (Rupees Forty five lakhs ninety three thousand one hundred forty six only) as grant-in-aid under Non Plan (Salary) and permitted to utilize ₹5,06,854/- (Rupees Five lakhs six thousand eight hundred fifty four only) left as unspent balance of previous year. An amount of ₹1,50,000/- was transferred from internal generation accrued during the year. It had its own receipts of ₹23,374/- during the year making a total of ₹52,73,374/- (Rupees Fifty two lakhs seventy three thousand three hundred seventy four only) available under Non Plan (Salary) and a sum of ₹10,27,654/- (Rupees Ten lakhs twenty seven thousand six hundred fifty four only) was received as grant-in-aid under Non Plan (General) and permitted to utilize ₹3,22,346/- (Rupees three lakhs twenty two thousand three hundred forty six only) also left as unspent balance of previous year. An amount of ₹50,000/- (Rupees Fifty thousand only) was transferred from internal generation accrued during the year, thus making a total amount of ₹14,00,000/- (Rupees Fourteen lakhs only) available under Non Plan (General).

Out of ₹10,11,60,465/- an amount of ₹7,02,58,202/- (Rupees Seven crore two lakhs fifty eight thousand two hundred two only) had been spent leaving a balance of ₹3,09,02,263/- (Rupees Three crore nine lakhs two thousand two hundred sixty three only) under Plan. As far as Non Plan is concerned, out of ₹52,73,374/-, an amount of ₹52,40,251/- (Rupees Fifty two lakhs forty thousand two hundred fifty one only) had been spent leaving a balance of ₹33,123/- (Rupees Thirty three thousand one hundred twenty three only) under Non Plan (Salary) & out of ₹14,00,000/-, an amount of ₹13,83,997/- (Rupees thirteen lakhs eighty three thousand nine hundred ninety seven only) had been spent leaving a balance of ₹ 16,003/- (Rupees Sixteen thousand three only) under Non Plan (General) at the end of the year 2015-16. The Unspent of ₹3,09,02,263/- under Plan, ₹33,123/- under Non Plan (Salary) & ₹16,003/- under Non Plan (General) will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the year 2016-17.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth for the year ended 31st March 2016.

We have audited the attached Balance Sheet of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth as at 31st March 2016, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2016-17. These financial statements are the responsibility of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Fixed Assets – Rs. 10.39 lakh only

A.1.1 According to schedule 24 of the Account, depreciation on fixed assets was calculated as per the rates prescribed by the Income Tax Act. In contravention of this, the depreciation of library books was provided the rate of 15% instead of prescribed rate of 60%. This has resulted in understatement of expenditure and overstatement of assets by Rs 0.48 lakh only.

B. Grant-in-aid

Out of grants in aid of Rs. 856.21 lakh (Plan Grant: Rs. 800.00 lakh, Non-Plan General: Rs. 10.28 lakh and Non-Plan Salaries: Rs. 45.93 lakh) received by Vidyapeeth during 2015-16, Rs. 234.73 lakh (Plan) was received in March 2016. Besides, there was an unspent grant of Rs. 198.51 lakh (Plan: Rs. 190.22 lakh, Non-Plan General: Rs. 3.23 lakh and Non-Plan Salary: Rs. 5.06 lakh) for the year 2014-15. It had its own receipts of Rs. 23.62 lakh (Plan: Rs. 21.39 lakh, Non Plan General: 0.50 lakh and Non-Plan Salaries: Rs. 1.73 lakh) during the year. The Vidyapeeth utilized Rs. 768.83 lakh (Plan: Rs. 702.59 lakh, Non-Plan General: Rs. 13.84 lakh and Non-Plan Salary: Rs. 52.40 lakh) leaving an unutilized grant of Rs. 309.51 lakh (Plan: Rs. 309.02 lakh, Non-Plan General: Rs. 0.16 lakh and Non-Plan Salaries: Rs. 0.33 lakh) at the end of March, 2016.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth as at 31st March 2016; and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on the behalf of the C & AG of India
Sd/-
Director General of Audit
(Central Expenditure)

Place: New Delhi
Date: 30.05.2016

Annexure

1. **Adequacy of internal audit system:**

   Internal audit of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth was not conducted by the Ministry since 2012-13.

2. **Adequacy of internal control system:**

   The management's response to internal and external audit objections was not effective as 8 paras of internal audit for the period 2009-12 and 12 paras of external audit for the period from 2001-02 to 2005-06 were outstanding as on 31 March, 2016. The assets register and publication stock register were not maintained in proper forms as per GFR.

3. **System of physical verification of fixed assets:**

   Physical verification of the fixed assets for the period 2015-16 was conducted.

4. **System of physical verification of inventory:**

   Physical verification of book and publication, stationery and consumable items was conducted up to 2015-16.

5. **Regularity in payment of statutory dues:**

   No statutory dues were outstanding for more than six month as on 31.03.2016.

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2016

AMOUNT (RS.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	41,08,451.00	39,98,484.00
Reserves And Surplus	2	13,64,996.00	22,92,093.00
Earmarked/Endowment Fund	3	-	-
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	3,94,56,307.00	2,60,48,918.00
TOTAL		**4,49,29,754.00**	**3,23,39,495.00**
ASSETS			
Fixed Assets	8	10,39,429.00	11,08,043.00
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments- Others	10	71,48,851.00	60,19,751.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	3,67,41,474.00	2,52,11,701.00
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		**4,49,29,754.00**	**3,23,39,495.00**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For Rashtriya Ayurved Vidyapeeth

Sd/-

Dr. Sanjeev Rastogi

DIRECTOR

Place: New Delhi

Date: 30.05.2016

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

AMOUNT (RS.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Income From Sales/Services	12	-	-
Grants/Subsidies	13	7,67,72,483.00	1,94,98,639.00
Fees/Subscription	14	5,83,000.00	4,40,750.00
Income From Investments (Income on Invest. from Earmarked/Endow. Funds Transferred to Funds)	15	-	-
Income from Royalty , Publication etc.	16	4,43,904.00	4,99,490.00
Interest Earned	17	13,06,034.00	10,95,091.00
Other Income	18	29,775.00	55,324.00
Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods and Work-In-Progress	19	-2,94,646.00	8,06,505.00
TOTAL (A)		7,88,40,550.00	2,23,95,799.00
Less : Internal Generation Transferred to Non Plan Salary & Non Plan General Grant		2,00,000.00	-
TOTAL (A) after transfer of Interest Income		7,86,40,550.00	2,23,95,799.00
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	6,57,85,170.00	1,12,67,665.00
Other Administrative Expenses	21	1,08,08,732.00	82,30,974.00
Expenditure on Grants, Subsidies	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation (Net Total at the year-end -Corresponding to Schedule 8)		1,78,581.00	1,64,020.00
TOTAL (B)		67,72,483.00	1,96,62,659.00
Balance Being Excess of Income over Expenditure (A-B)		18,68,067.00	27,33,140.00
Transfer to Special Reserve (Specify Each)			
Transfer to/from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS /(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		18,68,067.00	27,33,140.00
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For Rashtriya Ayurved Vidyapeeth
Sd/-
Dr. Sanjeev Rastogi
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date: 30.05.2016

Schedules To The Balance Sheet

AMOUNT (RS.)

SCHEDULE 1 -CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year		Previous Year	
Balance as at the Beginning of the Year	39,98,484.00		39,13,210.00	-
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	1,09,967.00	41,08,451.00	85,274.00	39,98,484.00
Add/ (Deduct) : Balance of Net Income/(Expenditure) Transferred from the Income and Expenditure Account				
Balance at the end of the year		**41,08,451.00**		**39,98,484.00**

SCHEDULE 2 -RESERVES AND SURPLUS:	Current Year		Previous Year	
General Reserves (Excess of Income over expenditure)				
As per Last Account	22,92,093.00		8,77,352.00	
Add : Addition during the year	18,68,067.00		27,33,140.00	
Less : Prior period adjustment	-		24,215.00	
Less : Deductions (previous year and current year Internal Generation)	27,95,164.00	13,64,996.00	12,94,184.00	22,92,093.00
TOTAL		**13,64,996.00**		**22,92,093.00**

	FUND-WISE BREAK UP		TOTALS	
			Current Year	Previous Year
SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS				
a) Opening Balance of the Funds	-		-	
b) Additions to the funds:	-		-	
i) Donations/Grants				
ii) Income from Investments made on account of funds				
iii) Other Additions				
TOTAL (a+b)		-		-
i) Capital Expenditure	-		-	
-Fixed Assets				
-Others				
Total				
ii) Revenue Expenditure	-		-	
- Salaries, Wages and Allowances etc.				
- Rent				
- Other Administrative Expenses				
Total				
TOTAL (c)		-		-
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)				

Notes

1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

2) Plan Funds received from the Central/State governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-		-	
2. State Government (Specify)	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
a) Term Loans				
b) Interest Accrued and Due				
4. Banks:	-		-	
a) Term Loans				
- Interest Accrued and Due				
b) Other Loans (Specify)				
-Interest Accrued and Due				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 5 -UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-		-	
2. State Government (Specify)	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
4. Banks:	-		-	
a) Term Loans				
b) Other Loans (Specify)				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7. Fixed Deposits	-		-	
8. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Current Year		Previous Year	
a) Acceptances Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-		-	
b) Others	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year		Previous Year	
-				
A. CURRENT LIABILITIES	-	-	-	-
1. Statutory Liabilities				
a) Contribution to Provident Fund				
As per last year Balance Sheet	37,47,898.00		30,31,161.00	
Addition during the year	8,55,325.00		7,36,737.00	
Less : Withdrawal during the year	-	46,03,223.00	20,000.00	37,47,898.00
2. Other Current Liabilities				
- Unutilized Grant (Plan)	3,09,02,262.00		1,83,88,674.00	
- Unutilized Grant (Non Plan - General)	16,003.00		3,22,346.00	
- Unutilized Grant (Non Plan - Salary)	33,123.00		5,06,854.00	
- Corpus Funds (Retirement)	36,35,734.00		30,75,145.00	
- Earnest Money	8,000.00		8,000.00	
- TDS Payable	1,24,688.00		-	
- Other Charges Head	1,33,274.00		-	
- Telephone Expenses Payable	-	3,48,53,084.00	1.00	2,23,01,020.00
TOTAL (A)		3,94,56,307.00		2,60,48,918.00

B. PROVISIONS	Current Year		Previous Year	
1. For Taxation	-		-	
2. Gratuity	-		-	
3. Superannuation/Pension	-		-	
4. Accumulated Leave Encashment	-		-	
5. Trade Warranties/Claims	-		-	
6. Others (Specify)	-		-	
TOTAL (B)		-		-
TOTAL (A+B)		3,94,56,307.00		2,60,48,918.00

SCHEDULE 8 – Fixed Assets
F.Y. – 2015-16

DESCRIPTION	RATE OF DEPRE-CIATION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		Cost/Valuation As At Beginning Of The Year	Addition During The Year	Deductions During The Year	Cost/Valuation At The Year-End	As At The Beginning Of The Year	DEP. During The Year	Deductions During The year	Total Up To The Year-End	As At The Current Year-End	As At The Previous Year-End
A. FIXED ASSETS :											
1. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	15%	87,303.08	14,800.00	-	1,02,103.08	26,243.68	11,378.91	-	37,622.59	**64,480.50**	**61,059.41**
2. FURNITURES, FIXTURES	10%	7,09,396.25	36,378.00	-	7,45,774.25	2,79,216.83	46,441.99	-	3,25,658.82	**4,20,115.43**	**4,30,179.42**
3. OFFICE EQUIPMENT	15%	8,88,954.46	19,150.00	-	9,08,104.46	4,93,321.11	60,781.25	-	5,54,102.36	**3,54,002.10**	**3,95,633.35**
4. COMPUTER/PERIPHERALS	60%	3,49,919.00	-	-	3,49,919.00	2,97,539.30	31,428.45	-	3,28,967.75	**20,952.30**	**52,380.75**
5. LIBRARY BOOKS	15%	3,54,469.09	23,140.00	-	3,77,609.09	2,61,704.16	15,909.21	-	2,77,613.37	**99,995.72**	**92,764.93**
6. AIR COOLING APPLIANCES	15%	1,71,341.56	-	-	1,71,341.56	95,316.42	11,403.77	-	1,06,720.19	**64,621.37**	**76,025.14**
7. ELECTRONIC EQUIPMENT	15%	-	16,499.00	-	16,499.00	-	1,237.43	-	1,237.43	**15,261.57**	-
TOTAL OF CURRENT YEAR		**25,61,384.32**	**1,09,967.00**	-	**26,71,350.44**	**14,53,341.51**	**1,78,581.00**	-	**16,31,922.52**	**10,39,429.00**	**11,08,043.00**
PREVIOUS YEAR		**25,44,790.32**	**85,274.00**	**68,680.00**	25,61,384.32	**13,18,986.50**	**1,64,020.00**	-	**14,53,341.51**	**11,08,043.00**	**12,25,804.00**
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS											
TOTAL		**25,61,384.32**	**1,09,967.00**	-	**26,71,350.44**	**14,53,341.51**	**1,78,581.00**	-	**16,31,922.52**	**10,39,429.00**	**11,08,043.00**

Detail of Addition of Fixed asset

	Date	Amount (Rs.)
Office Equipment	26.11.2015	19,150.00
Library Books	16.09.2015	2,663.00
	17.09.2015	790.00
	07.12.2015	15,467.00
	22.01.2016	4,220.00
Plant & Machinery	17.09.2015	14,800.00
Electronic Equipment	21.01.2016	16,499.00
Furniture & Fixtures	24.06.2015	32,103.00
	22.01.2016	4,275.00

SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year		Previous Year	
1. In Government Securities	-		-	
2. Other Approved Securities	-		-	
3. Shares	-		-	
4. Debentures and Bonds	-		-	
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-		-	
6. Others (To be specified)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 10- INVESTMENTS -OTHERS	Current Year		Previous Year	
1. Fixed Deposit				
- Contributory Provident Fund	43,93,851.00		32,64,751.00	
- Corpus Fund (Retirement)	27,55,000.00	71,48,851.00	27,55,000.00	60,19,751.00
TOTAL		71,48,851.00		60,19,751.00

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT ASSETS:				
1. Inventories:				
- Ayurvedic Books Published	10,76,267.00	10,76,267.00	13,70,913.00	13,70,913.00
2. Cash Balances in Hand (Including Cheques/Drafts and Imprest)				
- Plan	7,099.00		14,961.00	
- Non-Plan (General)	-	7,099.00	1,632.00	16,593.00
3. Bank Balances:				
- Plan	3,29,75,181.00		2,15,98,580.00	
- Non-Plan (General)	15,039.00		3,19,750.00	
- Non-Plan (Salary)	84,787.00		5,80,179.00	
- Contributory Provident Fund	2,32,746.00		4,83,147.00	
- Corpus Fund	8,80,734.00	3,41,88,487.00	3,20,145.00	2,33,01,801.00
TOTAL (A)		3,52,71,853.00		2,46,89,307.00
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Advances & other amounts recoverable in Cash/Kind				
- Amt. recoverable from Sh. M.R. Giri	44,390.00		44,390.00	
- Motorcycle Advance	44,001.00		41,728.00	

- Amt. to be received from Ministry	-		4,27,829.00	
- Stipend Recoverable	1,24,688.00		-	
- Advance to NICSI	10,21,212.00		-	
- Contingent Advance	2,33,000.00	14,67,296.00	8,000.00	5,21,944.00
- Festival Advance (Non Plan)				
- As per last year Balance Sheet	450.00		2,850.00	
- Add : Given during the year	3,750.00		-	
- Less : Recovered during the year	1,875.00	2,325.00	2,400.00	450.00
TOTAL (B)		14,69,621.00		5,22,394.00
TOTAL (A+B)		3,67,41,474.00		2,52,11,701.00

For Rashtriya Ayurved Vidyapeeth
Sd/-
Dr. Sanjeev Rastogi
DIRECTOR

Place: New Delhi
Date: 30.05.2016

Schedules To Profit & Loss Account

AMOUNT (RS.)

SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES	Current Year		Previous Year	
Sales	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES	Current Year		Previous Year	
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)				-
1. Central Government-				
PLAN				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	1,83,88,674.50		1,65,60,386.00	
Add : Previous year Internal Generations	6,32,451.00		12,94,184.00	
Amt. Brought Forward Unutilised Grant as per CAG	1,90,21,125.50		1,78,54,570.00	
Add : Current year Internal Generations	21,39,339.00		-	
Add : Grant-In-Aid Received from Govt.	8,00,00,000.00		1,56,83,614.00	
Total Grant-In-Aid	10,11,60,464.50		3,35,38,184.00	
Less: Grant Capitalised	1,09,967.00		85,274.00	
	10,10,50,497.50		3,34,52,910.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	3,09,02,262.50	7,01,48,235.00	1,83,88,674.00	1,50,64,236.00
NON PLAN – SALARY				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	5,06,854.00		13,91,377.00	
Add : Current year Internal Generation	23,374.00		-	
Grant-In-Aid Received from Govt.	45,93,146.00		28,08,623.00	
Transfer from current year internal generations	1,50,000.00			
Total Grant-In-Aid	52,73,374.00		42,00,000.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	33,123.00	52,40,251.00	5,06,854.00	36,93,146.00
NON PLAN - GENERAL				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	3,22,346.00		7,93,603.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	10,27,654.00		2,70,000.00	
Transfer from current year internal generations	50,000.00		--	
Total Grant-In-Aid	14,00,000.00		10,63,603.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	16,003.00	13,83,997.00	3,22,346.00	7,41,257.00
TOTAL		**7,67,72,483.00**		**1,94,98,639.00**

SCHEDULE 14- FEES/SUBSCRIPTION	Current Year		Previous Year	
1. Application Fees				
(Received from candidates applied for courses)	5,83,000.00	5,83,000.00	4,40,750.00	4,40,750.00
TOTAL		**5,83,000.00**		**4,40,750.00**

SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS	Current Year		Previous Year	
(Income on Invest. from Earmarked/Endowment Funds Transferred to Funds)				
1. Interest	-		-	
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures				
2. Dividends:	-		-	
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3. Rents	-		-	
4. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION	Current Year		Previous Year	
1. Income from Royalty	-		-	
2. Income from Publications	4,43,904.00		4,99,490.00	
3. Others (Specify)	-	4,43,904.00	-	4,99,490.00
TOTAL		**4,43,904.00**		**4,99,490.00**

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED	Current Year		Previous Year	
1. On Savings Accounts and Fixed Deposits :				
a) With Scheduled Banks-State Bank of India	11,89,205.00		10,42,177.00	
b) Interest on Fixed Deposit	23,374.00	12,12,579.00	-	10,42,177.00
2. On Other Receivables:				
a) Stipend Recovered	91,179.00		50,638.00	
b) Motor Cycle Advance	2,276.00	93,455.00	2,276.00	52,914.00
TOTAL		**13,06,034.00**		**10,95,091.00**

SCHEDULE 18- OTHER INCOME	Current Year		Previous Year	
a) Registration Fee	6,000.00		3,000.00	
b) Postage on Sale of Books	19,164.00		9,527.00	
c) Recovery of Salary/Stipend	3,588.00		42,787.00	
d) Miscellaneous Income	1,023.00	29,775.00	10.00	55,324.00
TOTAL		**29,775.00**		**55,324.00**

SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS	Current Year		Previous Year	
a) Closing Stock of Ayurvedic Books published	10,76,267.00		13,70,913.00	
b) Less: Opening Stock of Ayurvedic Books Published	13,70,913.00	-2,94,646.00	5,64,408.00	8,06,505.00
NET INCREASE/(DECREASE) [a-b]		**-2,94,646.00**		**8,06,505.00**

SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year		Previous Year	
Plan				
a) Wages	13,89,245.00		13,63,435.00	
b) Scholarship/Stipend				
- Stipend to Shishyas	3,84,32,831.00		34,64,141.00	
c) Professional Services				
- Honorarium to Gurus	2,05,35,227.00		25,85,659.00	
- Auditors Remuneration/Professional Fees	1,87,616.00	6,05,44,919.00	1,61,284.00	75,74,519.00
Non Plan - Salary				
a) Salary				
- Salary Expenses	46,79,662.00		33,59,579.00	
- Allowances and Bonus	-		13,816.00	
- Employees' Retirement and Terminal Benefits	5,60,589.00	52,40,251.00	3,19,751.00	36,93,146.00
TOTAL		**6,57,85,170.00**		**1,12,67,665.00**

SCHEDULE 21 :OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year		Previous Year	
Plan				
a) Office Expenses				
- Bank Charges	2,719.25		1,125.00	
- Misc. Expenses	1,62,850.00		1,60,032.00	
- Contingency to Gurus	95,885.00			
- Repairs and Maintenance	59,657.00		64,448.00	
- Newspaper & Periodicals	12,646.00		9,115.00	
b) Publications				
- Discount Allowed	1,21,804.00		1,23,168.00	
- Printing & Stationery	2,98,777.00		14,76,388.00	
c) Domestic Travelling				
- Travelling and Conveyance Expenses	15,45,154.00		10,96,677.00	
d) Other Administration Expenses				
- Thesis & Exam. Remun./S.C./Honorarium/Sitting	1,73,700.00		78,400.00	
- Training Programme - New Delhi	-		2,90,829.00	
- Training Programme - Bhopal	-		1,77,128.00	
- Training Programme - Puri	-		2,85,437.00	
- Training Programme - Lucknow	5,31,861.00		2,86,430.00	
- Training Programme - Goa	-		4,56,423.00	
- Training Programme - Ahemdabad	-		2,91,928.00	
- Training Programme - Nasik	-		3,11,806.00	
- Training Programme – Bangalore	4,34,106.50		-	

- Training Programme - Jaipur	2,93,418.50			
- Training Programme - Pune	5,90,845.25		-	
- Training Programme - Varanasi	4,59,744.50		-	
- Training Programme - Kolkata	5,20,415.00		-	
- Interactive Training Programme	7,08,002.25		4,68,394.00	
- Convocation Exp./Conference Exp.	18,45,535.00			
e) Advertisement & Publicity				
- Advertisement Exp.	15,67,615.00	94,24,735.00	19,11,989.00	74,89,717.00
Non Plan - General				
a) Electricity and Power	2,33,120.00		2,12,090.00	
b) Water Charges	68,186.00		94,963.00	
c) Postage, Telephone and Communication charges.	1,47,645.00		1,18,952.00	
d) Rent, Rates and Taxes	9,05,764.00		3,15,252.00	
e) Medical Treatment	29,282.00	13,83,997.00	-	7,41,257.00
TOTAL		**1,08,08,732.00**		**82,30,974.00**

SCHEDULE 22 :EXPENDITURE ON GRANTS,	Current Year		Previous Year	
a) Grants Given to Institutions/Organisations	-	-	-	-
b) Subsidies Given to Institutions/Organisations	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SCHEDULE 23 : INTEREST	Current Year		Previous Year	
a) On Fixed Loans	-	-	-	-
b) On other Loans (including Bank Charges)	-	-	-	-
TOTAL		-		-

For Rashtriya Ayurved Vidyapeeth

Sd/-

Dr. Sanjeev Rastogi

DIRECTOR

Place:New Delhi

Date: 30.05.2016

RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

AMOUNT (RS.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
Opening Balance	-		**I. Expenses**	-	
SBI Plan	2,15,98,580.00	1,91,87,610.00	a) Establishment Expenses (Schedule 20)	6,57,85,170.00	1,12,67,665.00
SBI Non Plan - Salary	5,80,179.00	14,19,515.00	b) Administrative Expenses (Schedule 21)	1,08,08,732.00	82,30,974.00
SBI Non Plan - General	3,19,750.00	7,81,668.00		-	
SBI Corpus	3,20,145.00	28,84,758.00	**II. Payments Made Against Funds or Various Projects**	-	-
Cash in hand Plan	14,961.00	4,365.00			
Cash in hand Non Plan	1,632.00	9,371.00	**III. Investments & Deposits Made**		
			a) Out of Earmarked/Endowment funds	-	27,55,000.00
II. Grants Received - From Ministry of AYUSH			b) Out of Own Funds	-	-
a) Plan	8,00,00,000.00	1,56,83,614.00	**IV. Expenditure on Fixed Assets/Capital WIP**		
b) Non Plan			a) Purchase of Fixed Assets	1,09,967.00	70,474.00
- General	10,27,654.00	2,70,000.00	b) Expenditure on Capital WIP	-	-
- Salary	45,93,146.00	28,08,623.00			
			V. Refund of Surplus Money/Loans		
III. Income on Investments from			a) To the Government of India	-	-
a) Earmarked/Endowment Funds	-	-	b) To the State Government	-	-
b) Own Funds	-	-	c) To Other Providers of Funds	-	-
IV. Interest Received			**VI. Finance Charges (Interest)**	-	-
a) Interest on Saving Bank A/c	11,89,205.00	10,42,177.00			
b) Interest on Stipend recovered	91,179.00	50,638.00	**VII. Other Payments**		
V. Other Income			a) Contingent & Other Advances	14,39,428.00	3,25,316.00
a) Postage on Sale of Books	19,164.00	9,527.00	b) Amt. to be received from CME	14,16,726.00	1,61,930.00

b) Recovery of Salary/Stipend	3,588.00	42,787.00	c) Gratuity & leave encashment	-	1,29,364.00
c) Miscellaneous Income	1,022.00	10.00	d) Telephone Expenses Recoverable	-	2,253.00
d) Application Fees	5,83,000.00	4,40,750.00	e) Earnest Money	13,700.00	19,670.00
e) Sale of Books	4,43,904.00	4,99,490.00	g) Festival Advance	3,750.00	-
f) Registration Fee	6,000.00	3,000.00			
			Closing Balances		
VI. Amount Borrowed			SBI Plan	3,29,75,181.00	2,15,98,580.00
a) Earnest Money	13,700.00	8,670.00	SBI Corpus	8,80,734.00	3,20,145.00
b) Contingent & Other Advances	1,93,211.00	3,25,316.00	SBI Non Plan - Salary	84,787.00	5,80,179.00
c) Festival Advance	1,875.00	2,400.00	SBI Non Plan - General	15,039.00	3,19,750.00
d) Corpus Fund (Retirement)	5,60,589.00	3,19,751.00	Cash in hand Plan	7,099.00	14,961.00
e) Telephone Expenses Recovered	-	3,853.00	Cash in hand Non Plan	-	1,632.00
f) Other Charges head-CME	15,50,000.00	-			
g) Amt. received from Ministry(CME)	4,27,829.00	-			
TOTAL	**11,35,40,313.00**	**4,57,97,893.00**	**TOTAL**	**11,35,40,313.00**	**4,57,97,893.00**

For Rashtriya Ayurved Vidyapeeth

Sd/-

Dr. Sanjeev Rastogi
DIRECTOR

Place: New Delhi
Date: 30.05.2016

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2016

AMOUNT (RS.)

Liabilities		Amount	Assets		Amount
CPF Subscription (Employees)			**Balance with Bank**		
As per last year	22,80,435.00		In Fixed Deposit		43,93,851.00
Add: During the year	3,90,000.00		In Savings Account		2,32,746.00
Less: Withdrawal	-				
Add: Interest on Employees Subs.	2,17,017.00	28,87,452.00			
CPF Contribution (Employers)					
As per last year	14,67,463.00				
Add: During the year	1,20,640.00				
Less: Withdrawal	-				
Add: Interest on Employers Contribution	1,27,668.00	17,15,771.00			
Excess of Income over Exp.		23,374.00			
Total		**46,26,597.00**	**Total**		**46,26,597.00**

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

Expenditure		Amount	Income		Amount
Interest on Employees Subscription	2,17,017.00		Interest from Bank		13,392.00
Interest on Employers Contribution	1,27,668.00	3,44,685.00	Interest from FD		4,75,307.00
Employers Contribution		1,20,640.00			
Excess of Income over Exp.		23,374.00			
Total		**4,88,699.00**	**Total**		**4,88,699.00**

RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

Receipts		Amount	Payments		Amount
Opening Balances					
CPF Subscription	22,80,435.00				
CPF Contribution	14,67,463.00	37,47,898.00			
Employees Subscription/Refund	3,90,000.00		**Closing Balance**		
Employer Contribution	1,20,640.00	5,10,640.00			
			CPF Subscription	28,87,452.00	
Interest on Employees Subscription	2,17,017.00		CPF Contribution	17,15,771.00	46,03,223.00
Interest on Employer Contribution	1,27,668.00	3,44,685.00			
Total		**46,03,223.00**	**Total**		**46,03,223.00**

For Rashtriya Ayurved Vidyapeeth

Sd/-

Dr. Sanjeev Rastogi

DIRECTOR

Place: New Delhi

Date: 30.05.2016

SCHEDULE-24 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 Accounting Convention

The financial statement have been prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2 Inventory Valuation

Inventories of Books are valued at cost.

3 Fixed Assets

i) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of taxes, freight incidental and direct expenses related to acquisition.

ii) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalised at value stated by corresponding credit to General Fund.

4 Government Grants

Government Grant in respect of purchase of fixed assets are treated as Grant Capitalized.

5 Revenue Recognition

i) Sale of books includes trade discount and rebate.

ii) Interest accrued on FDR has not been account for in books of accounts as the same is considered on maturity.

6 Depreciation

Depreciation on fixed assets is calculated as per rates prescribed by Income Tax Act.

For Rashtriya Ayurved Vidyapeeth

Sd/-

Dr. Sanjeev Rastogi

DIRECTOR

Place: New Delhi

Date: 30.05.2016

SCHEDULE-25 : CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1 **Current Liabilities**
Unutilised Grants for Plan & Non Plan Expenditures has been shown under Current Liabilities.

2 **Current Assets, Loans and Advances**
The current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business equal at least to aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3 Corresponding figures for the previous year have been regrouped/re-arranged, wherever necessary.

4 Current Year Figures have been rounded off nearest to the rupees and Previous Year Figures have been taken as on 31.03.2015 so as to meet consistency.

5 Schedules 1 to 25 have been annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2016 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

6 Recognition of fixed assets method has been changed from WDV method to Gross Block since Financial year 2011-12.

7 Simple interest @ 9% is charged on motor cycle advance during current year.

8 Loans & advances under the head current assets of Rs. 14,69,621/- is still recoverable.

9 As per final SAR by CAG of financial year 2014-15, unutilized plan grant is Rs. 190.22 lacs as against Rs. 183.89 lacs as reported in balance sheet as on 31.03.2015. Hence, adjustment of Rs. 6,32,451/- as previous year internal generation is considered in schedule no. 13 under plan.

10 Unutilized grant is computed as per guidelines provided by CAG in final SAR during financial year 2014-15

11 After utilization of saving bank interest and fixed deposit interest on CPF towards contribution in employees subscription and employer contribution, excess availability of Interest earned on fixed deposit of Rs. 23,374/- considered as part of current year internal generation of Non Plan salary in schedule no. 13

For Rashtriya Ayurved Vidyapeeth
Sd/-

Dr. Sanjeev Rastogi
DIRECTOR

Place: New Delhi

Date: 30.05.2016